Daksh®

2025

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित

A Complete Book for

ग्रेड-1st स्कूल व्याख्याता

शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन

अनिवार्य प्रथम प्रश्न पत्र

- राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 एवं संशोधित अधिनियम-2012
- राजस्थान नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम-2011
- समग्र शिक्षा अभियान (समसा)
- कोरोना काल में शैक्षिक नवाचार
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

डॉ. महावीर सिंह चौपड़ा

Buy Online at :
WWW.DAKSHBOOKS.COM

दक्ष®

RAJASTHAN PUBLIC SERVICE COMMISSION, AJMER

SYLLABUS

for Examination for the post of

LECTURER

(SCHOOL EDUCATION)

PAPER-I · GENERAL AWARENESS AND GENERAL STUDIES

Part-5

Educational Management, Educational Scenario in Rajasthan, Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009

- **Educational Management:-** Concept, Functions and Principles. Total Quality Management in Education, Educational Supervision & Inspection, Institutional Planning, Leadership Styles in Educational Management.
- **Educational Scenario in Rajasthan**

  Organization and Functions of following at Primary and Secondary Education in Rajasthan; SCERT, BSER, IASE, DIET, Rajasthan State Open School, Rajasthan State Text Book Board, State Initiative for Quality Education. DIKSHA-RISE, SMILE, Shiksha Darshan, Shiksha Vani, Samgra Shiksha Abhiyan.
- **Provisions of Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009.**

For the competitive examination for the post of School Lecturer:-

1. The question paper will carry maximum 150 marks.
2. Duration of question paper will be 01 Hours 30 Minutes.
3. The question paper will carry 75 questions of multiple choices.
4. Negative marking shall be applicable in the evaluation of answers. For every wrong answer one third of the marks prescribed for that particular question shall be deducted.
5. Paper shall include following subjects :-
   (i) History of Rajasthan and Indian History with special emphasis on Indian National Movement
   (ii) Mental Ability Test, Statistics (Secondary Level), Mathematics (Secondary Level), Language Ability Test:- Hindi, English
   (iii) Current affairs
   (iv) General Science, Indian Polity, Geography of Rajasthan
   (v) Educational Management, Educational Scenario in Rajasthan, Right of Children to free and Compulsory Education Act, 2009

अनुक्रमणिका

अध्याय नं. अध्याय का नाम ..... पृष्ठ नम्बर

शैक्षिक प्रबंधन, राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य, नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009

[Educational Management, Educational Scenario in Rajasthan, Right of Children to Free & Compulsory Education Act, 2009]

1 शैक्षिक प्रबन्धन : अवधारणा, कार्य तथा सिद्धांत
[Educational Management : Concept, Functions and Principles] 1

- शैक्षिक प्रबन्धन की अवधारणा 1
- शैक्षिक प्रबन्धन के कार्य 3
- शैक्षिक प्रबन्धन के सिद्धांत 4
- शैक्षिक प्रबन्ध में शिक्षण 5
- प्रबन्धन से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण तथ्य 6
- राजस्थान में शैक्षिक प्रबंधन 6
- प्रारम्भिक शिक्षा 6
- राजस्थान में प्रमुख निदेशालय एवं मुख्यालय 7
- राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग 10
- जिला स्तरीय एकीकृत शिक्षा संकुल 11
- संभाग स्तरीय एकीकृत शिक्षा संकुल 12
- राज्य स्तरीय एकीकृत शिक्षा संकुल 12
- महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तर 13

2 शिक्षा में समग्र गुणवत्ता युक्त प्रबंधन
[Total Quality Management in Education] 15

- सामान्य परिचय 15
- समग्र गुणवत्ता युक्त प्रबन्ध की प्रक्रिया 17
- समग्र गुणवत्ता के घटक 17
- गुणवत्ता प्रबन्धन के उद्देश्य 17
- समग्र गुणवत्ता के कार्य एवं क्षेत्र 18
- सम्पूर्ण गुणवत्ता प्रबन्ध (T.Q.M) के क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियाँ 18
- चुनौतियों का समाधान 18
- राजस्थान में समग्र गुणवत्ता युक्त प्रबन्धन हेतु प्रयास 19
- महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तर 19

3 शैक्षिक पर्यवेक्षण और निरीक्षण
[Educational Supervision & Inspection] 21

- शाब्दिक दृष्टि से अर्थ 21
- परिभाषाएँ 21
- शैक्षिक पर्यवेक्षण की विशेषताएँ 21

अध्याय नं. अध्याय का नाम .... पृष्ठ नम्बर

- ❖ शैक्षिक पर्यवेक्षण की प्रकृति 22
- ❖ शैक्षिक पर्यवेक्षण का क्षेत्र 22
- ❖ शैक्षिक पर्यवेक्षण की आवश्यकता तथा महत्त्व 22
- ❖ पर्यवेक्षण के दृष्टिकोण 22
- ❖ पर्यवेक्षण के प्रकार 22
- ❖ शैक्षिक पर्यवेक्षण के सिद्धांत 24
- ❖ पर्यवेक्षण की विधियाँ या तकनीकें 25
- ❖ पर्यवेक्षक (Supervisor) के प्रकार 25
- ❖ पर्यवेक्षक के कार्य 25
- ❖ पर्यवेक्षण की शैलियाँ 25
- ❖ एक अच्छे पर्यवेक्षक के गुण 26
- ❖ पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण में अन्तर 26
- ❖ महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तर 26

4 संस्थागत नियोजन
[Institutional Planning] 28

- ❖ संस्थागत नियोजन का अर्थ एवं परिभाषा 28
- ❖ संस्थागत नियोजन की आवश्यकता 29
- ❖ संस्थागत नियोजन की विशेषताएँ 29
- ❖ संस्थागत नियोजन के उद्देश्य 29
- ❖ संस्थागत नियोजन के सिद्धान्त 29
- ❖ संस्थागत नियोजन के क्षेत्र 30
- ❖ विद्यालय योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन में संस्था प्रधान की भूमिका 30
- ❖ महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तर 31

5 शैक्षिक प्रबन्धन में नेतृत्व शैलियाँ
[Leadership Styles in Educational Management] 33

- ❖ नेतृत्व की अवधारणा 33
- ❖ अर्थ 33
- ❖ नेतृत्व की परिभाषाएँ 33
- ❖ नेतृत्व की विशेषताएँ 33
- ❖ नेतृत्व के आवश्यक गुण 34
- ❖ नेता और नेतृत्व की उपयोगिता एवं कार्य 34
- ❖ शैक्षिक प्रबन्धन में नेतृत्व का महत्त्व 35
- ❖ नेतृत्व की प्रविधियाँ 35
- ❖ नेतृत्व के सिद्धान्त 35
- ❖ नेतृत्व के प्रकार 36
- ❖ नेतृत्व की शैलियाँ 36
- ❖ नेतृत्व के अन्य प्रकार 38
- ❖ महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तर 39

अध्याय नं. अध्याय का नाम ..... पृष्ठ नम्बर

6 राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद
[SCERT : State Council of Educational Research and Training] 41
- ❖ RSCERT का संगठनात्मक ढाँचा 41
- ❖ RSCERT की मुख्य भूमिका/कार्य 41
- ❖ RSCERT/SCERT के प्रभाग 41
- ❖ RSCERT के प्रभाग (Division) तथा सम्बन्धित विभाग 42
- ❖ RSCERT के प्रभागों (Divisions) के कार्य 42
- ❖ RSCERT के कार्य 43
- ❖ महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तर 44

7 राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
[BSER : Board of Secondary Education Rajasthan] 46
- ❖ सामान्य परिचय 46
- ❖ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की संरचना/संगठन 46
- ❖ बोर्ड सचिव के कर्त्तव्य व शक्तियाँ 47
- ❖ BSER के कार्य 47
- ❖ महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तर 49

8 उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान
[IASE : Institute of Advanced Studies in Education] 50
- ❖ सामान्य परिचय 50
- ❖ उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान (IASE) के उद्देश्य 50
- ❖ उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान (IASE) के कार्य 50
- ❖ उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान (IASE) के विभाग 51
- ❖ महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तर 53

9 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट)
[DIET : District Institute of Education and Training] 54
- ❖ सामान्य परिचय 54
- ❖ नोडल एजेंसी 54
- ❖ वित्तीय प्रबन्ध 54
- ❖ डाइट का संगठन/संरचना 54
- ❖ डाइट के उद्देश्य 54
- ❖ डाइट के कार्य 54
- ❖ डाइट के प्रभाग 55
- ❖ महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तर 56

10 राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल
[RSOS : Rajasthan State Open School] 57
- ❖ सामान्य परिचय 57
- ❖ राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की विशेषताएँ 57
- ❖ प्रवेश प्रक्रिया एवं शुल्क संरचना 59
- ❖ पाठ्यक्रम 62

अध्याय नं. अध्याय का नाम ..... पृष्ठ नम्बर

❖ अध्ययन प्रक्रिया 63
❖ सार्वजनिक परीक्षा आयोजन 63
❖ महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तर 64

11 राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल
[RSTB : Rajasthan State Text Book Board] 65
❖ परिचय 65
❖ राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल का मुख्य उद्देश्य 65
❖ पाठ्यपुस्तक वितरण व्यवस्था 65
❖ राजस्थान राज्य पाठ्यक्रम मण्डल का ढांचा/संगठन 65
❖ राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल के विभाग 66
❖ राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल के कार्य 66
❖ महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तर 66

12 राज्य में गुणात्मक शिक्षा के लिए पहल
[SIQE : State Initiative for Quality Education] 67
❖ SIQE की पृष्ठभूमि 67
❖ मुख्य भावनाएँ 68
❖ जिला निष्पादक समिति 71
❖ कार्यक्रम का क्रियान्वयन 71
❖ सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन 71
❖ बाल केन्द्रित शिक्षण विद्या 73
❖ गतिविधि आधारित अधिगम 73
❖ संकुल संदर्भ विद्यालय 74
❖ लैब विद्यालय 74
❖ एक भारत-श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम 74
❖ महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तर 75

13 डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग
[DIKSHA : Digital Infrastructure for Knowledge Sharing] ... 77
❖ DIKSHA 77
❖ DIKSHA-RISE 77
❖ विद्यादान 78
❖ निष्ठा 78
❖ निपुण भारत मिशन 79
❖ पीएम ई विद्या योजना 79
❖ महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तर 80

14 स्माइल : सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट
[SMILE : Social Media Interface for Learning Engagement] 81
❖ स्माइल (SMILE) प्रथम चरण 81
❖ स्माइल द्वितीय चरण (स्माइल 2.0) 81
❖ स्माइल तृतीय चरण 82
❖ SMILE 3.0 कार्यक्रम 83
❖ शिक्षा दर्शन 84

अध्याय नं. अध्याय का नाम ..... पृष्ठ नम्बर

- ❖ शिक्षावाणी 85
- ❖ मिशन समर्थ 85
- ❖ ई-कक्षा 85
- ❖ हवामहल कार्यक्रम 86
- ❖ महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तर 86

15 समग्र शिक्षा अभियान (समसा) [SMSA : Samagra Shiksha Abhiyan] 88

- ❖ परिचय 88
- ❖ समग्र शिक्षा अभियान (समसा) के उद्देश्य 89
- ❖ समसा का संगठनात्मक ढाँचा 89
- ❖ समग्र शिक्षा अभियान (समसा) का प्रबंधन व प्रशासन 89
- ❖ समग्र शिक्षा अभियान की प्रमुख सिफारिशें 90
- ❖ समग्र शिक्षा अभियान में संचालित प्रमुख गतिविधियाँ 91
- ❖ महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तर 97

16 समग्र शिक्षा अभियान 2.0 [Samagra Shiksha Abhiyan 2.0] 99

- ❖ समग्र शिक्षा अभिमान 2.0 99
- ❖ महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तर 100

17 भारतीय शिक्षा से संबंधित महत्त्वपूर्ण आयोग/समितियाँ [Major Commissions/Committees Related to Indian Education] 101

- ❖ अन्य महत्त्वपूर्ण तथ्य 101
- ❖ महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तर 104

18 राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 [National Education Policy-2020] 107

- ❖ परिचय 107
- ❖ राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधारभूत सिद्धान्त 108
- ❖ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का विजन (उद्देश्य) 109
- ❖ स्कूली शिक्षा से सम्बन्धित सुधार 109
- ❖ स्कूली शिक्षा का नया शैक्षणिक और पाठ्यक्रम ढांचा 109
- ❖ शिक्षकों से सम्बन्धित सुधार 110
- ❖ उच्च शिक्षा में सुधार 110
- ❖ महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तर 111

19 निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 [Right of Children to free & Compulsory Education Act-2009] 112

- ❖ 86वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत किये गये प्रावधान 112
- ❖ निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 112
- ❖ राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम-2011 121
- ❖ महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तर 127

20 संक्षिप्त शब्दावली [Abbreviations] 136

1 शैक्षिक प्रबन्धन : अवधारणा, कार्य तथा सिद्धांत
[Educational Management : Concept, Functions & Principles]

शैक्षिक प्रबन्धन की अवधारणा

❖ शैक्षिक प्रबन्धन की अवधारणा को भली-भाँति समझने के लिए सर्वप्रथम प्रशासन (Administration) तथा प्रबन्धन (Management) के अर्थ को समझना आवश्यक है।

प्रशासन का अर्थ एवं परिभाषा
(Meaning & Definitions of Administration)

❖ प्रशासन शब्द अंग्रेजी भाषा के Administration शब्द का हिन्दी रूपान्तरण है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों से हुई है—

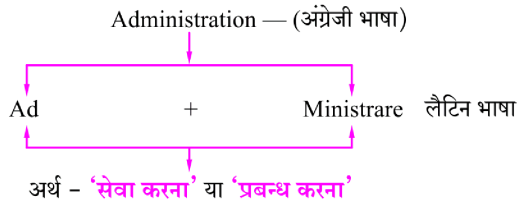

इस प्रकार प्रशासन का शाब्दिक दृष्टि से अर्थ है **''कार्यों का प्रबन्धन करना''** अर्थात् सही ढंग से कम समय में, कम खर्चे में सामूहिक रूप से कार्य सम्पन्न करना ही प्रशासन है।

❖ **साइमन**—''विस्तृत रूप से समान लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए सामूहिक रूप से सहयोगपूर्ण ढंग से की गयी क्रियाएँ ही, प्रशासन हैं।''

❖ **लूथर गुलिक**—''पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति करना ही, प्रशासन है।''

❖ **आइवर टीड**—''वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए मानव प्रयासों के एकीकरण की समावेशी प्रक्रिया ही प्रशासन है।''

❖ **पिफनर व प्रैस्थस**—''वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय तथा भौतिक साधनों का संगठन एवं संचालन ही प्रशासन है।

❖ **एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका**—''कार्यों के प्रबन्धन अथवा उनको पूरा करने की क्रिया ही प्रशासन है।''

❖ **एल.डी.व्हाइट**—''किसी विशिष्ट उद्देश्य अथवा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत से व्यक्तियों का निर्देशन, नियंत्रण तथा समन्वयन की कला ही प्रशासन है।''

प्रशासन की उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर प्रशासन के निम्न **लक्षण** होते हैं—

1. निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास
2. मानव तथा भौतिक साधनों का समन्वयन
3. सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु बहुत से व्यक्तियों का सहयोग
4. संगठन एवं मानवीय सहयोग
5. मानवीय गतिविधियों का निर्देशन एवं नियंत्रण
6. प्रशासन के उद्देश्य तथा इसमें कार्यरत लोगों के उद्देश्यों में भिन्नता हो सकती है, लेकिन टकराव नहीं होता।

प्रबन्धन का अर्थ एवं परिभाषा
(Meaning & Definitions of Management)

प्रबन्धन उन सभी संगठनों के क्रियात्मक पक्ष से सम्बन्धित है, जो मुख्य रूप से संसाधनों (भौतिक एवं मानवीय) के समुचित सदुपयोग, समन्वय एवं संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उनका संचालन करता है।

❖ **पीटर ड्रकर**—''प्रबंधन एक बहुउद्देशीय अंग है जो व्यापार का प्रबन्ध करता है, प्रबन्ध का प्रबन्ध करता है तथा कर्मचारी एवं कार्य का प्रबन्ध करता है।''

❖ **हेराल्ड कून्ट्ज**—''प्रबंधन औपचारिक रूप से गठित संगठन के माध्यम से कार्य करवाने की कला है।''

❖ **हेनरी फेयोल**—''प्रबंधन का आशय पूर्वानुमान लगाना, नियोजन करना, निर्देश देना, समन्वय स्थापित करना और नियंत्रण करना है।''

❖ **एफ.डब्ल्यू टेलर**—''प्रबंधन यह जानने की कला है कि क्या करना है और उसे करने का श्रेष्ठ एवं सरल तरीका क्या है।''

इस प्रकार प्रबंधन संगठन के कार्मिकों हेतु योजना बनाना, उन्हें संगठित करना, उन्हें नेतृत्व प्रदान करना, नियन्त्रित करना तथा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के समस्त संगठनात्मक संसाधनों का उपयोग करने की प्रक्रिया है।

प्रशासन एवं प्रबन्धन में अन्तर

❖ प्रशासन तथा प्रबन्धन को समानार्थी माना जाता था, लेकिन **ओलिवर शेल्डन** ने इन दोनों शब्दों को अलग-अलग अर्थों में प्रयोग किया है। इन दोनों में सामान्य अन्तर इस प्रकार है—

(B) वितरण (Distribution)
(C) निर्देशन (Directing)
(D) विकासशील (Developing) [C]

11. निम्नांकित में से कौन-सा हेनरी फेयोल द्वारा दिये गये 'प्रबन्धन के कार्य' में समाहित नहीं है ? [व्याख्याता 2018 (ग्रुप-1)]
(A) योजना निर्माण (B) संगठन
(C) समादेश (D) बजट निर्माण [D]

12. विद्यालय प्रबन्धन के लिए निम्नलिखित में से सिद्धांतों का कौनसा समूह सबसे अधिक उपयुक्त है ? [व्याख्याता 2018 (ग्रुप-2)]
(A) सहयोग, समानता, लचीलापन और साझा उत्तरदायित्व
(B) समानता, अति-संरचना, लचीलापन और नियत उत्तरदायित्व
(C) सहयोग, दृढ़ता, समानता और नियत उत्तरदायित्व
(D) लचीलापन, अति संरचना, साझा उत्तरदायित्व और समानता [A]

13. प्रबंधन का POSDCORB सूत्र निम्नांकित में से किसने दिया था? [व्याख्याता 2018 (ग्रुप- III)]
(A) हेनरी फेयोल ने (B) लूथर गुलिक एवं उर्विक ने
(C) जार्ज आर टेरी ने (D) आर.सी.डेविस ने [B]

14. निम्नलिखित में से कौन-सा कार्य शैक्षिक प्रबन्धन से संबंधित है? [व्याख्याता 2018 (ग्रुप-II)]
(A) विद्यालय संगठन
(B) गतिविधियों की योजना/नियोजन
(C) प्रणाली (तंत्र) नियंत्रण
(D) सभी विकल्प सही हैं। [D]

15. विद्यालय प्रबन्धन का प्रजातान्त्रिक सिद्धांत है ?
(A) एकतन्त्रीय निर्णय करना [H.M.Exam - 2018]
(B) व्यक्तिगत कार्य करना
(C) सहभागी उत्तरदायित्व
(D) निर्णय दृढ़ता [C]

16. शिक्षण का 'सत्तावादी स्तर' केन्द्रित है ? [व्याख्याता-2013]
(A) शिक्षक केन्द्रित (B) शिशु केन्द्रित
(C) प्रधानाध्यापक केन्द्रित (D) अनुभव आधारित [A]

17. निम्न में से कौन-सा एक कथन सही है ?
शिक्षा प्रबन्धन अध्यापकों के उन प्रयासों के मॉनिटरिंग की प्रक्रिया है, जिनके द्वारा वे अपने विद्यार्थियों को इस योग्य बना सकें कि— [व्याख्याता-2011]
(A) वे जीवन में अच्छा व्यवसाय तथा स्तर प्राप्त कर सकें।
(B) वे अच्छे अंक और अच्छी ग्रेड से परीक्षा में सफल हो सकें।
(C) वे वह ज्ञान प्राप्त कर सकें जो उन्हें पूर्व में प्राप्त नहीं था।
(D) वे देश के उपयोगी नागरिक बन सकें। [D]

18. सतत् शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के तहत ''साक्षर भारत कार्यक्रम'' में निम्न में से कौन-से आयाम और शामिल किए गए? [व्याख्याता-2015]
(A) चुनावी एवं वित्तीय साक्षरता
(B) कानूनी साक्षरता
(C) आपदा प्रबन्धन एवं नागरिक सुरक्षा
(D) ये सभी [D]

19. राज्य की शिक्षा के क्षेत्र में स्वशासी अभिकरणों का चयन करते हुए सही सेट /समुच्चय की पहचान कीजिये— [हैडमास्टर-2011]
(A) राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय
(B) राजस्थान मदरसा बोर्ड, राजस्थान पाठ्यपुस्तक मण्डल
(C) पंजीयक विभागीय परीक्षाएँ, बीकानेर
(D) राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् [B]

20. वर्तमान में राजस्थान के राजकीय विद्यालयों में अल्पसंख्यक भाषाओं के शिक्षण की व्यवस्था है— [हैडमास्टर-2011]
(A) उर्दू, सिन्धी, हिन्दी, राजस्थानी
(B) सिन्धी, उर्दू, राजस्थानी, संस्कृत
(C) गुजराती, पंजाबी, उर्दू, सिन्धी
(D) सिन्धी, गुजराती, उर्दू, बंगाली [C]

21. राजस्थान नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा नियम- 2011 के अनुसार प्रारम्भिक शिक्षा परिषद् के प्रमुख होंगे—
(A) मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष [हैडमास्टर-2011]
(B) सर्व शिक्षा अभियान के निदेशक/कमिश्नर
(C) राज्य के मुख्य सचिव
(D) आरम्भिक शिक्षा के निर्देशक [B]

22. राज्य स्तर पर शिक्षा का मुखिया कौन होता है?
(A) शिक्षा मंत्री (B) गृह मंत्री
(C) निदेशक (D) प्रधानाचार्य [A]

23. ब्लॉक स्तर पर सर्वोच्च शिक्षा अधिकारी है—
(A) CDEO (B) BEEO
(C) CBEO (D) PEEO [C]

24. ग्राम पंचायत परिक्षेत्र में प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों पर प्रशासनिक नियंत्रण किसका होता है?
(A) PEEO (B) CBEO (C) DEO (D) H.M. [A]

25. पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, बीकानेर द्वारा कौनसी परीक्षा का आयोजन नहीं करवाया जाता है?
(A) D.El.Ed (B) 5वीं बोर्ड
(C) 10वीं बोर्ड (D) संगीत प्रभाकर [C]

Note :
शहरी क्षेत्र में स्थित प्रारम्भिक शिक्षा (प्राथमिक, उच्च प्राथमिक) विद्यालय के कार्मिकों की वेतन व्यवस्था तथा प्रशासनिक नियंत्रण हेतु शहरी क्षेत्र के नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक नोडल उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य को **''शहरी संकुल प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी''** (UCEEO : Urban Centre Elementary Education Officer) बनाया गया है। UCEEO मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के अधीन होता है।

2 शिक्षा में समग्र गुणवत्ता युक्त प्रबंधन [Total Quality Management in Education]

सामान्य परिचय

- प्रबन्धन प्रक्रिया के अन्तर्गत वर्तमान समय में **समग्र गुणवत्ता** (Total Quality) को महत्त्व दिया जाता है। किसी भी संस्था अथवा कम्पनी द्वारा संख्यात्मक वृद्धि की अपेक्षा गुणात्मक वृद्धि को महत्त्व दिया जाने लगा है।
- समग्र गुणवत्ता प्रबन्धन (TQM) की शुरुआत मुख्यतः विनिर्माण (उद्योग) क्षेत्र में हुई थी परन्तु वर्तमान समय में इसका दायरा बढ़ गया है तथा शिक्षा के क्षेत्र में भी शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु इसका उपयोग बढ़ गया है।
- शिक्षा के क्षेत्र में **समग्र गुणवत्ता प्रबन्धन** एक नवीन अवधारणा है। समग्र गुणवत्ता प्रबन्धन के अन्तर्गत समस्या समाधान के लिए सम्पूर्णता के साथ बेहतर ढंग से गुणवत्ता के आधार पर वैज्ञानिक विधि लागू की जाती है। इससें समस्या को प्रत्येक दृष्टि से देखने तथा गहराई तक जाने व समझने का अवसर मिलता है तथा कार्य सम्पन्न करने के दौरान आने वाली समस्याएँ कम हो जाती हैं।
- वर्तमान में प्राथमिक स्तर की शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक सभी स्तरों पर शिक्षाविद् गुणवत्ता के लिए कार्य कर रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा में गुणवत्ता लाने हेतु **''विश्वविद्यालय अनुदान आयोग''** (UGC) तथा **नैक (NAAC: National Assessment and Accreditation Council)** मिलकर शिक्षा संस्थानों में (विश्वविद्यालय तथा कॉलेज) निरीक्षण कर, उनमें गुणवत्ता वाले मानक प्रदान कर रहे हैं।
- विद्यालय स्तर की शिक्षा में भी गुणवत्ता के लिए अनेक संस्थान कार्यरत हैं। जैसे–NCERT, DIET, IASE आदि

अर्थ व परिभाषा

(Meaning and Definitions)

समग्र गुणवत्ता प्रबन्धन के अन्तर्गत विद्यालय में अच्छी सेवा देना तथा छात्रों के शैक्षिक स्तर व योग्यता में सुधार करने का प्रयास किया जाता है, जिससे छात्रों तथा अभिभावकों को आत्मानुभूति प्राप्त हो।

- **टेरी लियोन्स के अनुसार**—''समग्र गुणवत्ता प्रबन्धन, प्रबन्धन की वह क्रिया है, जो इस तथ्य के कारण उत्पन्न होती है कि किसी भी उद्यम का कार्य चलाने के लिए लोगों की सेवाओं का प्रयोग करना होता है।''
- **डॉ.एम.बी. फोरमैन के अनुसार**—समग्र गुणवत्ता प्रबन्धन किसी भी उद्यम में कार्यरत व्यक्तियों के मध्य सम्बन्धों को इस प्रकार बनाए रखता है कि प्रत्येक व्यक्ति कार्य संचालन में अधिकतम व्यक्तिगत योगदान प्रदान कर सके।''
- **British Institute of personel management के अनुसार**–"It is that part of the Management which is concerned with the people at work and with the Relationship within an enterprise. It applies not only to Industry and commerce but to all fields of employments."

उक्त परिभाषाओं के आधार पर निष्कर्ष रूप में समग्र गुणवत्ता प्रबन्धन का अर्थ इस प्रकार है–

1. इसका सम्बन्ध तत्संबंधी कार्य को सम्पन्न करने की एक ऐसी महत्त्वपूर्ण शक्ति अथवा साधन से है, जिससे संस्था में नियोजन, संगठन, नियंत्रण तथा निर्देशन जैसी प्रक्रियाएँ सम्पादित की जाती हैं।
2. यह संस्था में कार्यरत समस्त कर्मचारियों की सुरक्षा तथा सेवाओं को निरन्तर गतिशील रखता है तथा इनमें नैतिक एवं भौतिक दोनों प्रकार की योग्यता में वृद्धि करता है।
3. यह संस्था में योजनानुसार कार्य संचालन में अधीनस्थों को अनुकूल अवसर उपलब्ध करवाता है तथा आधुनिक तकनीकी को अपनाता है।
4. इससे समस्त कर्मचारियों तथा ग्राहकों में सन्तुष्टि बढ़ती है तथा अच्छे परिणाम मिलते हैं।
5. समग्र गुणवत्ता प्रबन्धन में कमियों को ढूंढ कर उनका उपयुक्त समाधान किया जाता है।

- **शाब्दिक दृष्टि से समग्र गुणवत्ता प्रबन्धन (Total Quality Management)** का अर्थ इस प्रकार है–

T = Total (समग्र) इसमें सभी पक्ष शामिल होते हैं।

Q = Quality (गुणवत्ता)–उद्देश्यों के अनुरूप उपयुक्तता

M = Management (प्रबन्धन)–दूसरे लोगों से कार्य लेने अथवा कार्य करवाने की कला अथवा क्षमता

इस प्रकार ''समग्र गुणवत्ता प्रबन्धन एक ऐसा दृष्टिकोण (Approach) है, जिसमें सभी कर्मचारी एवं ग्राहक निरन्तर सुधार के लिए शामिल होते हैं।''

3 शैक्षिक पर्यवेक्षण और निरीक्षण [Educational Supervision & Inspection]

❖ प्रशासनिक कार्यों के संचालन के लिए नियम-विनियम बनाना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि क्रियान्वयन के स्तर पर दैनन्दिन निरीक्षण आवश्यक होता है। इसीलिए कहा जाता है कि **''जिस कार्य का निरीक्षण नहीं किया जाता है, वह कार्य होता ही नहीं है।''** प्रशासन में उच्च स्तर से निम्न स्तर तक एक पदसोपान क्रम होता है, जिसमें प्रत्येक अधिकारी-कर्मचारी का कोई-न-कोई पर्यवेक्षक होता है, जो उसके द्वारा किये जाने वाले कार्यों का पर्यवेक्षण करता है। इस प्रकार उच्चाधिकारी द्वारा निम्नाधिकारी के कार्यों की जाँच तथा आवश्यक परामर्श ही पर्यवेक्षण है।

❖ पर्यवेक्षण शैक्षिक क्षेत्र में अलग नहीं होता है, शैक्षिक क्षेत्र में पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सभी कर्मचारियों को अलग-अलग कार्य सौंपे जाते हैं। प्रशासनिक स्तर पर यह देखा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो कार्य जिस उद्देश्य के लिए सौंपा गया था उसे उसी प्रकार से किया जा रहा है अथवा नहीं।

शाब्दिक दृष्टि से अर्थ

❖ पर्यवेक्षण अंग्रेजी शब्द Super (उच्च) तथा Vision (दृष्टि) से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है-**देखने की उच्च शक्ति।**

❖ शब्दकोश' की दृष्टि से Supervision का अर्थ है-''किसी वस्तु या व्यक्ति पर निगरानी रखना या यह जाँचना कि कार्य विधिवत ढंग से किया जा रहा है या नहीं।''

परिभाषाएँ (Definitions)

1. **बर्टन** के अनुसार-''शैक्षिक पर्यवेक्षण का उद्देश्य शिक्षण में उन्नति करना है।''
2. **बार्कले** के अनुसार- ''एक अच्छा पर्यवेक्षण सदैव शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के विकास और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुधारने से संबंधित होता है।''
3. **टैरी और फ्रैंकलिन** के अनुसार- ''शैक्षिक पर्यवेक्षण का अर्थ सौंपे गए कार्य को पूरा करने के लिए कार्मिकों तथा अन्य साधनों के प्रयासों को दिशा निर्देश देने से है।''
4. **विलियम ए. यीगर** के अनुसार, ''पर्यवेक्षण वर्तमान की ऐसी प्रक्रिया के रूप में माना जाता है, जिसका उद्देश्य सम्पूर्ण शिक्षण अधिगम परिस्थिति का व्यापक सुधार करना है।''

इस प्रकार उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि ''शैक्षिक पर्यवेक्षण एक ऐसा प्रयास या प्रक्रिया है, जो शिक्षण अधिगम परिस्थितियों को उन्नत बनाता है तथा शिक्षक तथा विद्यार्थियों का समग्र विकास करता है, शैक्षिक समस्याओं का पता लगाकर उन्हें दूर करने का प्रयास करता है।''

❖ **जी.डी. हेल्से** ने पर्यवेक्षण की विस्तृत प्रक्रिया में अनेक बातों को शामिल किया है, जो इस प्रकार हैं-

1. प्रत्येक कार्य के लिए उपयुक्त व्यक्ति का चयन करना।
2. प्रत्येक कार्मिक/व्यक्ति में कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना तथा यह सिखाना कि वह कार्य को कैसे कर सकता है।
3. शिक्षण की प्रभावशीलता का पता करने के लिए कार्य सम्पन्न किये जाने की गति तथा कार्यक्षमता का मापन करना।
4. जहाँ कहीं भी कोई कमी अथवा गलती रह गई हो, उसे सुधारना तथा जिन कार्मिकों के लिए आवश्यकता प्रतीत हो तो उन्हें दूसरे कार्य पर लगा देना और कोई कार्मिक असक्षम हो तो उसे हटा देना।
5. अच्छा कार्य करने पर प्रशंसा करना तथा पुरस्कार देना।
6. प्रत्येक व्यक्ति को व्यवस्थित रूप से एक कार्यकारी समूह में रखना।

हेल्से इस बात पर बल देते हैं कि यह सब पूर्ण निष्पक्षता, धैर्य और सावधानी से किया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी कार्यकुशलता भली प्रकार से, उत्साहपूर्वक ढंग से एवं बुद्धिमत्ता से पूरी कर सके।

शैक्षिक पर्यवेक्षण की विशेषताएँ (Characteristics of Educational Supervision)

❖ पर्यवेक्षण एक कौशल युक्त विधि है, जिसकी निम्न विशेषताएँ हैं—

1. **पर्यवेक्षण एक सतत् प्रक्रिया है**-शैक्षिक पर्यवेक्षण निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया होती है।
2. **यह दोहरी प्रक्रिया है**-इसमें एक ओर दिशा-निर्देश दिये जाते हैं तो दूसरी ओर यह दूसरों के कार्य का निरीक्षण भी है।
3. **शैक्षिक पर्यवेक्षण से स्वस्थ मानवीय संबंधों का विकास होता है**-इसमें सभी के मध्य आपसी तालमेल तथा समझ से कार्य किया जाता है।

4 संस्थागत नियोजन [Institutional Planning]

- कार्य की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि उपलब्ध संसाधनों के साथ पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु योजनाबद्ध रूप से सोच-समझकर निर्णय लें। अर्थात् कार्य को चालू करने से पूर्व इसके प्रत्येक पहलू पर विस्तारपूर्वक सोच-विचार कर निर्णय लें। इस प्रकार कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व चिंतन कर निर्णय लेने की प्रक्रिया ही **नियोजन** है।
- संस्थागत नियोजन में पिछले वर्ष की योजना को ध्यान में रखते हुए आगामी वर्ष के लिए रूपरेखा तैयार की जाती है।
- संस्थागत नियोजन किसी संस्था द्वारा निर्मित कार्यक्रमों का विवरण होता है।
- संस्थागत नियोजन करते समय प्रत्येक संस्था अपने **मानवीय, भौतिक एवं वित्तीय संसाधनों** की उपलब्धता का ध्यान रखते हुए योजना बनाती है। इस प्रकार लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग नियोजन के माध्यम से ही किया जा सकता है।
- भारत में **सर्वप्रथम 1952-53 में माध्यमिक शिक्षा आयोग** (मुदालियर शिक्षा आयोग) ने शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ाने के लिए विद्यालय समुन्नयन योजना बनाने की सिफारिश की, जिसमें विद्यालय के भौतिक, मानवीय एवं शैक्षिक संसाधनों के समन्वय पर बल देने की सिफारिश की गयी थी।
- इसी आधार पर **कोठारी आयोग (राष्ट्रीय शिक्षा आयोग) 1964 ने विद्यालय समुन्नयन योजना लागू की।**
- संस्थागत नियोजन शैक्षिक क्षेत्र में **विद्यालय स्तर का नियोजन** होता है। राजस्थान में शैक्षिक नियोजन का प्रारम्भ **1968 ई.** से माना जाता है तथा सन् **1972-73 में** सभी विद्यालयों के लिए शैक्षिक नियोजन अनिवार्य किया गया।
- प्रत्येक विद्यालय को प्रतिवर्ष **'विद्यालय वार्षिक योजना' (School Development Plan)** (SDP) का निर्माण करना होता है।

संस्थागत नियोजन का अर्थ एवं परिभाषा

- किसी भी संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों की प्राप्ति तथा उन्नति के लिए उपलब्ध संसाधनों के अनुसार भविष्य के लिए निर्मित योजना ही संस्थागत योजना या संस्थागत नियोजन कहलाता है। संस्था की सफलता नियोजन पर ही निर्भर करती है।
- विद्यालय स्तर पर संस्था प्रधान अपने स्टाफ से विचार विमर्श करके आगामी शैक्षिक सत्र के लिए कार्यों की योजना बनाते हैं, जिसमें पाठ्य पुस्तक के अनुसार पाठ्यक्रम का विभाजन, समय विभाग चक्र बनाना, शैक्षिक लक्ष्यों का निर्धारण, विद्यालय का भौतिक विकास आदि प्रमुख हैं।

प्रो.एम.बी. बुच के अनुसार

- ''शैक्षिक संस्था द्वारा अपने विकास हेतु अपनी आश्यकताओं तथा संसाधनों को ध्यान में रखते हुए निर्मित कार्यक्रम ही संस्थागत नियोजन है।''

माथुर के अनुसार

- ''संस्थागत नियोजन विद्यालय के कार्यक्रम की वह योजना है, जो विद्यालय द्वारा अपने उद्देश्यों तथा आदर्शों को अपनी उन्नति के लिए उपलब्ध तथा संभावित संसाधनों के आधार पर प्राप्त करने हेतु बनायी जाती है।''

ई.डब्ल्यू फ्रेंकलिन के अनुसार

- ''शैक्षिक सुधार की यात्रा में विद्यालय योजना एक **'मील का पत्थर'** है तथा इसमें अध्यापक केन्द्र में होता है। प्रथम बार अध्यापक को शैक्षिक सुधार का नियोजक एवं कार्य संचालक बनाया जा रहा है।''

जे.वी. सियर्स के अनुसार

- ''किसी कार्य को सम्पन्न करने या किसी समस्या का समाधान करने की तैयारी ही नियोजन है।''

उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि विद्यालय के उन्नयन तथा प्रगति के लिए उपलब्ध तथा सम्भावित संसाधनों के आधार पर बनायी गयी योजना ही संस्थागत योजना अथवा विद्यालय योजना है।

5 शैक्षिक प्रबन्धन में नेतृत्व शैलियाँ (Leadership Styles in Educational Management)

नेतृत्व की अवधारणा (Concept of leadership)

- विद्यालय के लिए प्रभावशाली तथा कुशल नेतृत्व की आवश्यकता होती है। नेतृत्व का मुख्य उद्देश्य अध्यापकों, कर्मचारियों और समाज को संस्था व समाज के हित में कार्य करवाने हेतु **सकारात्मक प्रेरणा** प्रदान करना है।
- नेतृत्व का सामान्य अर्थ किसी संगठन के शीर्ष पर पदस्थापित कार्मिक की उस योग्यता एवं स्थिति से है, जो अपने अधीनस्थों में प्रेरणा उत्पन्न करे। इसी सन्दर्भ में **मार्क ट्वेन** का कथन है- **''हिरणों की ऐसी सेना जिसका नेतृत्व शेर द्वारा किया जा रहा हो, शेरों की उस सेना से बेहतर होती है, जिसका नेतृत्व हिरण द्वारा किया जा रहा हो।''**
- नेतृत्व किसी संगठन के सफलतापूर्वक कार्य करने तथा लक्ष्यों व उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अनिवार्य है। **कीथ डेविस** के अनुसार- ''बिना नेतृत्व के कोई भी संगठन केवल मात्र मनुष्यों और यंत्रों की एक भीड़ है... नेतृत्व संभावना को वास्तविकता में बदलता है। यह वह निर्णायक कार्य है, जो सभी उन संभावनाओं को सफल बनाता है जो किसी संगठन और उसके लोगों में निहित है।''
- इस प्रकार शैक्षिक प्रबन्धन में नेतृत्व कर्ता को अपने अधीनस्थों से सहयोगी प्रवृत्ति से कार्य लेना चाहिए, अधिनायक प्रवृत्ति से नहीं।

अर्थ (Meaning)

- अंग्रेजी भाषा के **Lead** शब्द से **Leader** तथा **Leadership** बना है। शाब्दिक दृष्टि से Lead के अनेक अर्थ होते हैं, जैसे- **आगे होना, उच्च होना, सर्वोत्तम होना, प्रसिद्ध होना** या **मार्गदर्शन देना** आदि। Leader वह व्यक्ति है, जो Lead करता है तथा Ship का अर्थ किसी स्थिति या परिस्थिति से है। इस प्रकार Leadership किसी व्यक्ति की वह योग्यता है तथा स्थिति है, जो दूसरो को राह दिखाने का कार्य करती है।
- नेता के लिए संस्कृत भाषा में **''नीयते यः अनेन''** कहा गया है, जिसका अर्थ होता है- **जो दूसरों को आगे ले जाने की क्षमता रखता है।**

नेतृत्व की परिभाषाएँ (Definitons of Leadership)

- **जार्ज टैरी के अनुसार-** ''नेतृत्व वह क्रिया है, जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति, उद्देश्यों के लिए व्यक्तियों को स्वेच्छा से कार्य करने हेतु उन्हें प्रभावित करता है।''
- **कूण्ट्ज तथा ओ डोनेल के अनुसार-** ''किसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सन्देशवाहक के माध्यम से व्यक्तियों को प्रभावित करने की योग्यता, नेतृत्व कहलाती है।''
- **चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार-** ''शैक्षिक नेतृत्व का आशय व्यक्ति के व्यवहार के उस गुण से है, जिसके द्वारा वह अन्य लोगों को संगठित प्रयास से सम्बन्धित शैक्षिक कार्य करने में मार्गदर्शन करता है।''

उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि **नेतृत्व एक योग्यता** है, परिस्थितिवश या जानबूझकर प्राप्त **प्रस्थिति** (States) एवं **भूमिका** (Roal) है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति अपने **अनुयायियों** या **अधीनस्थों को** किन्हीं सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु **प्रेरित** एवं **मार्गदर्शन** करता है।

नेतृत्व से सम्बन्धित निम्न भ्रांतियाँ नहीं होनी चाहिए

1. नेतृत्व का अर्थ **भय** नहीं है। एक सफल नेतृत्व वह है, जो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों में आत्मविश्वास पैदा कर सम्मान तथा निष्ठा प्राप्त करता है।
2. केवल **आज्ञा** देना या आदेश देना ही नेतृत्व नहीं है, यह नेतृत्व की एक आवश्यक क्रिया है।
3. केवल उच्च पद प्राप्त करना ही नेतृत्व नहीं है।
4. केवल मात्र करिश्मा करना या उच्च स्तरीय शारीरिक मानसिक क्षमता रखना ही नेतृत्व नहीं है, बल्कि एक अच्छे नेतृत्व कर्ता में विवेक, बुद्धि, प्रभावित करने की क्षमता, ओजस्वी व्यक्तित्व जैसे गुण भी आवश्यक हैं।
5. केवल **लोकप्रियता** को नेतृत्व नहीं माना जाना चाहिए।
6. केवल **प्रभाव** को नेतृत्व नहीं कहा जाना चाहिए।

नेतृत्व की विशेषताएँ (Characteristics of Leadership)

1. नेता तथा उसके अनुयायियों (अधीनस्थों) के **बीच हितों की एकता** होनी चाहिए।
2. नेतृत्व में **अनुयायियों** (अधीनस्थों) का होना आवश्यक है।

6 राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद [SCERT : State Council of Educational Research and Training]

- विद्यालय शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा हेतु शैक्षिक योजना, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के लिए जिस प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर NCERT की स्थापना की गयी है, उसी प्रकार राज्य स्तर पर SCERT की स्थापना की गयी है।
- सर्वप्रथम तीसरी पंचवर्षीय योजना में प्रत्येक राज्य में सन् **1963** में **''राज्य शिक्षा संस्थान''** (State institute of Education: SIE) खोले गये।
- राजस्थान में **प्रो. आर. सी. मेहरोत्रा** समिति की सिफारिश के आधार पर **''राज्य शिक्षा संस्थान''** (SIE) के स्थान पर **11 नवम्बर 1978** को **उदयपुर** में **'राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान'** (State Institute of Educational Research and Training, SIERT) की स्थापना की गयी।
- **14 अगस्त 2018** को SIERT का पुनर्गठन करके इसका नाम **''राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद''** (RSCERT : Rajasthan State Council of Educational Research and Training) किया गया।
- RSCERT एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में कार्य करेगी।
- इसका वित्तीय प्रबन्धन राज्य सरकार करती है।
- **राष्ट्रीय स्तर** पर शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण हेतु **NCERT सर्वोच्च संस्था** है।
- **राज्य स्तर** पर शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण हेतु **RSCERT** उदयपुर **''सर्वोच्च अकादमी संस्था''** है।

RSCERT का संगठनात्मक ढाँचा

14 अगस्त 2018 को पुनर्गठन के बाद RSCERT का संगठनात्मक ढाँचा इस प्रकार है–

निदेशक (IAS/RAS)
↓
अतिरिक्त निदेशक (RES)
↓
प्रोफेसर (1) (संयुक्त निदेशक के समकक्ष)
↓
प्रोफेसर-I (04) (उपनिदेशक के समकक्ष)
↓
प्रोफेसर-II (01) (DEO के समकक्ष)
↓
एसोसिएट प्रोफेसर (10) (प्रधानाचार्य के समकक्ष)
↓
सहायक प्रोफेसर (20) (व्याख्याता के समकक्ष)

RSCERT की मुख्य भूमिका/कार्य

1. राज्य में **विद्यालय शिक्षा** (School Education) तथा **शिक्षक शिक्षा** (Teacher Education) के लिए शैक्षिक योजना निर्माण, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन तथा गुणात्मक उन्नयन के लिए **सर्वोच्च अकादमिक संस्था** (Academic Organization) है।
2. आयुक्तालय, प्राथमिक शिक्षा तथा निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर को शैक्षिक सलाह देना।
3. RTE 2009 धारा (29) के तहत राज्य सरकार द्वारा **''बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011** के भाग-7 के तहत RSCERT को **'समुचित शैक्षिक प्राधिकारी'** बनाया गया है।
4. यह **जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों** (DIET'S) **उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थानों** (IASE) तथा CTE को **शैक्षिक मार्गदर्शन, नेतृत्व** एवं **सम्बलन** प्रदान करती है।
5. यह राज्य के **शिक्षा विभाग** को **शैक्षिक उन्नयन** हेतु सलाह प्रदान करती है।
6. यह विद्यालय स्तर पर गुणात्मक सुधार के लिए एक 'नोडल एजेंसी' के रूप में कार्य करती है।
7. शैक्षिक अनुसंधान सम्बन्धी कार्य।

RSCERT/ SCERT के प्रभाग [Division of RSCERT]

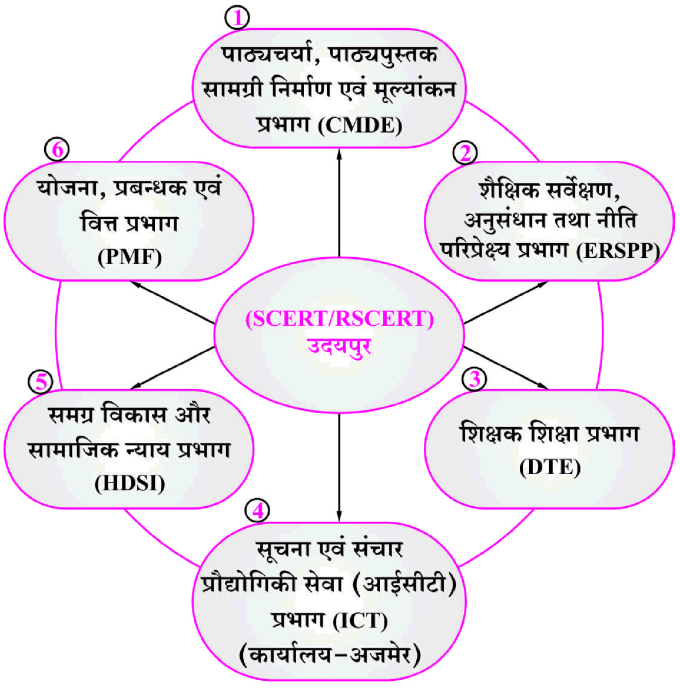

7 राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
[BSER : Board of Secondary Education Rajasthan]

सामान्य परिचय

- माध्यमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार करने हेतु **23 सितम्बर 1952** को **लक्ष्मण स्वामी मुदालियर** की **अध्यक्षता** में माध्यमिक शिक्षा आयोग (मुदालियर आयोग) का गठन किया गया।
- माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने हेतु भारत के प्रत्येक राज्य में **'माध्यमिक शिक्षा बोर्ड'** गठित करने की **सिफारिश** की।
- माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिश पर राजस्थान में राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश के तहत 1 अगस्त 1957 को सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गयी।
- **राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1957** की धारा 3 के तहत **4 दिसम्बर 1957** को जयपुर में **राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गयी।**
- **सन् 1961** में पी. सत्यनारायण राव समिति की अनुशंसा के आधार पर इसे जयपुर से **अजमेर** में स्थानान्तरित किया गया।
- **1973** में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को अपने **वर्तमान नवीन भवन में स्थापित** किया गया।
- राज्य में माध्यमिक शिक्षा की पद्धति को आधुनिक, वैज्ञानिक एवं प्रगतिशील ढंग पर विकसित करने की दृष्टि से, ऐसी शिक्षा का पुनः संगठन, विनियमन तथा पर्यवेक्षण करने हेतु एक बोर्ड की स्थापना करने के लिए उपबन्ध करना समीचीन है। भारत गणराज्य के **आठवें वर्ष** में राजस्थान राज्य विधान मण्डल यह अधिनियम बनाता है। **(राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957)**
- **बोर्ड का ध्येय वाक्य:** "सिद्धिर्भवति कर्मजा" है।
- **बोर्ड का लोगो:** राजस्थान के मानचित्र में **विजयस्तम्भ** बना है जिसके एक ओर पुस्तक तथा दूसरी ओर जलता हुआ दीपक है।
- **बोर्ड की वेबसाइट** http://rjeduboard.rajasthan.gov.in

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की संरचना/संगठन
(Organisation Setup of BSER)

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में धारा 16 (राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957) के अनुसार नाम निर्दिष्ट अध्यक्ष तथा निम्नलिखित सदस्य होंगे जो **मूल अधिनियम 1957 के अनुसार तथा अक्टूबर 2018 में संशोधन** के पश्चात इस प्रकार हैं-

क्र.स.	सदस्य का प्रकार/विवरण	कुल संख्या
1.	अध्यक्ष (Chairman)	1
2.	उपाध्यक्ष सहित पदेन सदस्य (Ex-officio members)	7
3.	निर्वाचित सदस्य (Elected members)	7
4.	राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य	17
5.	विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत सदस्य	2
6.	सहवरण सदस्य (जो विशिष्ट शिक्षाविद् हों) (Co-opted members)	2
	कुल योग	**36**

- वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (BSER) में सदस्य संख्या 36 है। अक्टूबर 2018 में राज्यपाल महोदय द्वारा 5 सदस्य बढ़ाये जाने की अनुशंसा की थी जो इस प्रकार हैं—
  - **एक,** विश्वविद्यालयों द्वारा निर्वाचित सदस्य
  - **दो,** राजस्थान वि.वि.सीनेट द्वारा निर्वाचित संबद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्य
  - **दो,** शिक्षक संघ प्रतिनिधि सदस्य
- वर्तमान में बोर्ड चेयरमैन के स्थान पर **लक्ष्मीनारायण मंत्री (IAS)** को **प्रशासक के रूप** में लगा रखा है तथा बोर्ड **सचिव मेघना चौधरी** (RAS) हैं।
- बोर्ड अध्यक्ष **राज्य सरकार द्वारा मनोनीत** होता है तथा इसका **कार्यकाल 3 वर्ष** होता है।
- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग बोर्ड, का **उपाध्यक्ष** एवं पदेन सदस्य होता है।
- बोर्ड का **कार्यकाल तीन वर्ष** का होता है।
- बोर्ड सचिव की **नियुक्ति** राज्य सरकार द्वारा की जाती है, जो राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) का अधिकारी होता है।
- बोर्ड बैठक की गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का **एक तिहाई** (1/3 अथवा 33%) होगा।
- बोर्ड का अध्यक्ष ही इसका **प्रशासनिक प्रधान** होता है। बोर्ड का

8 उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान
[IASE : Institute of Advanced Studies in Education]

सामान्य परिचय

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अन्तर्गत शिक्षक शिक्षा व प्रशिक्षण (Teacher Education and Traning) में गुणात्मक सुधार के लिए अनेक सुधारात्मक उपाय अपनाये गये।

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की अनुशंसा के आधार पर माध्यमिक स्तर की शिक्षक शिक्षा के लिए **स्नातक (B.ED)** तथा **अधिस्नातक (M.Ed), सेवा पूर्व प्रशिक्षण व सेवाकालीन प्रशिक्षण** तथा **शोध कार्यों** एवं **शैक्षिक नवाचारों की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु** सन् 1987-88 में ''उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान'' (IASE) की स्थापना की गयी।
- भारत में वर्तमान में **29 IASE** संचालित हैं।
- राजस्थान में चार IASE स्थापित किये गऐ थे लेकिन वर्तमान में दो **'उच्च अध्ययन संस्थान (IASE)'** ही संचालित हैं।
- शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में 'उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान' (IASE) का **सर्वोच्च स्थान** है।
- IASE पर प्रशासनिक नियंत्रण **'माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर'** का है तथा अकादमिक नियंत्रण **'कॉलेज शिक्षा निदेशालय, जयपुर'** का है।
- IASE की शैक्षिक गतिविधियों का संचालन केन्द्र प्रवर्तित योजना में स्थापित होने के कारण **'मानव संसाधन विकास मंत्रालय'** की गाइड लाइन के अनुसार किया जाता है।

उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान (IASE) के उद्देश्य

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार तथा राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित उद्देश्य इस प्रकार हैं—

(1) B.Ed (दो वर्षीय), B.A. B.Ed/B.SC. B.Ed (चार वर्षीय) सेवा पूर्व प्रशिक्षण आयोजित कर माध्यमिक स्तर की शिक्षा हेतु प्रशिक्षित अध्यापक तैयार करना।

(2) प्रारम्भिक स्तर की कक्षाओं (कक्षा 1 से 8) को पढ़ाने वाले शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए **''दक्ष प्रशिक्षक (Trainers)''** तैयार करना।

(3) M.Ed, M.Phil, Ph.D हेतु मानव संसाधन उपलब्ध करवाना।

(4) माध्यमिक स्तर की कक्षाओं में पढ़ाने वाले शिक्षकों के व्यावसायिक उन्नयन तथा शैक्षिक गुणवत्ता सुधार के लिए सेवारत प्रशिक्षण तथा शिविरों का आयोजन करना।

(5) माध्यमिक स्तर पर प्रयोग तथा शैक्षिक अनुसंधान कार्य सम्पन्न करवाना।

(6) कार्यरत शिक्षकों को कार्यरत स्थल पर 'on site support' प्रदान करना।

(7) उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालयों के संस्था प्रधानों में नेतृत्व एवं प्रशासनिक क्षमता संवर्धन हेतु सेवारत प्रशिक्षण का आयोजन।

IASE का प्रशासनिक संगठन

प्राचार्य- संयुक्त निदेशक के समकक्ष
↓
उपप्राचार्य- उपनिदेशक के समकक्ष
↓
प्रोफेसर- जिला शिक्षा अधिकारी के समकक्ष
↓
रीडर- प्रधानाचार्य के समकक्ष
↓
व्याख्याता - व्याख्याता के समकक्ष
↓
अनुदेशक - व्याख्याता के समकक्ष

उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान (IASE) के कार्य

(1) सेवा-पूर्व प्रशिक्षण प्रदान करना

- B.Ed, B.A. B.Ed/ B.Sc B.Ed पाठयक्रमों का संचालन
- B.Ed, M.Phil, Ph.D पाठ्यक्रमों का संचालन

9 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट)
[DIET : District Institute of Education and Training]

सामान्य परिचय

- **राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986** के तहत भारत सरकार की मदद से केन्द्र प्रवर्तित योजना के रूप में **प्राथमिक शिक्षा के विकास** तथा **गुणात्मक सुधार** हेतु **जिला स्तर** पर **सन् 1988** (सत्र 1987-88) में डाइट की स्थापना की गयी। इसका सम्बन्ध मुख्यतः **प्राथमिक शिक्षा** तथा **अनौपचारिक** एवं **प्रौढ़ शिक्षा** से है।
- राजस्थान में डाइट की स्थापना **दो चरणों** में की गयी।
  प्रथम चरण– जून 1995 में **14 जिलों** में **डाइट्स** की स्थापना की गयी।
  द्वितीय चरण– अक्टूबर 1996 तक शेष सभी जिलों में डाइट्स की स्थापना की गयी।
- वर्तमान में राज्य के सभी 33 जिलों में **33 डाइट्स की** स्थापना की जा चुकी है, इसके अलावा निम्न प्रशिक्षण संस्थान हैं—
  - **एक** राजकीय अल्प भाषायी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान– अजमेर
  - **एक** राजकीय संस्कृत शिक्षण प्रशिक्षण विद्यालय– जयपुर
  - **चार** बाईट **(BIET–Block Institute of Education & Training)** निम्न हैं जिसकी **स्थापना 2013** में हुई—
    (i) नोहर – हनुमानगढ़
    (ii) रायसिंह नगर– श्रीगंगानगर
    (iii) सज्जनगढ़– बाँसवाड़ा
    (iv) बिछीवाड़ा– डूँगरपुर
  - राज्य का प्रथम डाइट अलवर तथा अन्तिम डाइट प्रतापगढ़ जिलों में स्थापित किया गया।
  - मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डाइट को शिक्षा के क्षेत्र में **''लाईट हाऊस''** कहा है।
  - 1989 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डाइट के संचालन व एकरूपता हेतु **''पिंक गाइड बुक''** प्रकाशित की है।

नोडल एजेंसी

डाइट की नोडल एजेंसी राज्य स्तर पर **''राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्''** **(SCERT)** है

वित्तीय प्रबन्ध

- केन्द्र व राज्य सरकार का अंशदान 60 : 40 है।
- डाइट जिले की शीर्ष **''अकादमिक संस्था''** है, जहाँ शैक्षिक प्राथमिक शिक्षा हेतु कार्य योजना का नियोजन, क्रियान्वयन एवं सम्पादन किया जाता है।

डाइट का संगठन/संरचना

प्राचार्य (1) – जिला शिक्षा अधिकारी के समकक्ष
↓
उपप्राचार्य (1) – प्रधानाचार्य के समकक्ष
↓
वरिष्ठ व्याख्याता (6) – प्रधानाचार्य के समकक्ष
↓
व्याख्याता (18) – स्कूल व्याख्याता के समकक्ष

डाइट के उद्देश्य

- डाइट की स्थापना प्राथमिक शिक्षा के निम्न लक्ष्यों को ध्यान में रखकर की गयी—
  - प्राथमिक शिक्षकों तथा औपचारिक व प्रौढ़ शिक्षा कार्मिकों को प्रशिक्षण देना
  - जिले में शैक्षिक संदर्भ संस्था के रूप में कार्य करना
  - सेवा पूर्व तथा सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षणों का आयोजन
  - प्रारम्भिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण
  - क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा शैक्षिक समस्याओं को हल करना
  - निर्देशन सामग्री का विकास, मूल्यांकन हेतु कार्यक्रम
  - गतिविधि आधारित शिक्षण, आनन्ददायी शिक्षण को बढ़ावा
  - प्रारम्भिक शिक्षा के सभी संस्थानों में समन्वय करना

डाइट के कार्य

(1) प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्य

- **सेवा पूर्व प्रशिक्षण:** D. El. Ed. (BSTC) दो वर्षीय कोर्स

11 राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल [RSTB : Rajasthan State Text Book Board]

परिचय

- राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल की स्थापना **1973** में राज्य सरकार के एक प्रशासनिक आदेश से की गयी गई।
- ''राजस्थान संस्था पंजीकरण अधिनियम 1958'' के तहत एक **स्वायत्तशासी संस्था** के रूप में इसका **पंजीकरण 29 दिसम्बर 1973** को किया गया।
- औपचारिक रूप से राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल **1 जनवरी 1974** को अस्तित्व में आया।
- राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल का कार्यालय झालाना डूंगरी, जयपुर में है।
- राजस्थान पाठ्य पुस्तक मण्डल **प्रारम्भिक शिक्षा** के अधीन है।
- राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल गुजरात की तर्ज पर कार्य कर रहा है।
- राजस्थान पाठ्यपुस्तक मण्डल के **अध्यक्ष शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार** होते हैं।

राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल का मुख्य उद्देश्य

- राज्य में स्थित समस्त राजकीय तथा राज्य सरकार से सम्बन्धित विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा **1 से 12** तक के विद्यार्थियों के अध्ययन हेतु राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यपुस्तकों का **मुद्रण (प्रकाशन) तथा वितरण करना**, राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल का मुख्य उद्देश्य है।
- प्रारम्भ में कक्षा 1 से 8 तक की पाठ्यपुस्तकों का मुद्रण तथा वितरण का कार्य ही किया जाता था, लेकिन राज्य सरकार के आदेशानुसार दिनांक 27.09.2010 के बाद से कक्षा 9 से 12 तक की पुस्तकों का मुद्रण तथा वितरण कार्य भी राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल द्वारा ही किया जाता है।

पाठ्यपुस्तक वितरण व्यवस्था

राजस्थान पाठ्यपुस्तक मण्डल द्वारा निःशुल्क तथा बिक्री श्रेणी की पुस्तकों की अलग-अलग वितरण व्यवस्था है-

1. निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण योजना में कक्षा 1 से 8 तक की पुस्तकें RSTB से ग्राम पंचायत पर स्थित नोडल केन्द्रों पर पहुँचायी जाती हैं, जहाँ से विद्यालय संस्था प्रधान इन्हें प्राप्त कर विद्यार्थियों को वितरित करवाते हैं। कक्षा 9 से 12 तक की पुस्तकें RSTB से पंचायत समिति पर निर्धारित नोडल केन्द्रों पर भेजी जाती हैं, जहाँ से प्रत्येक विद्यालय का संस्था प्रधान/निःशुल्क पाठ्यपुस्तक प्रभारी/ पुस्तकालय अध्यक्ष इन्हें प्राप्त कर विद्यार्थियों को वितरित करते हैं।
2. बाजार में बिक्री श्रेणी की पुस्तकें **RSTB के 35 वितरण केन्द्रों पर** पंजीकृत पुस्तक विक्रेताओं के माध्यम से वितरित की जाती हैं।

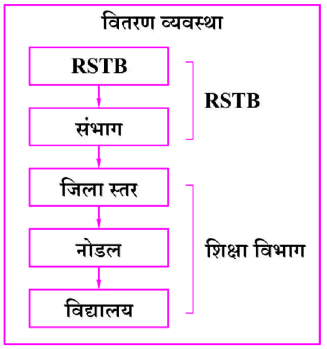

नोट :

1. कक्षा 1 से 12 तक **पाठ्यक्रम निर्माण तथा पुस्तक लेखन** का कार्य 'राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद' उदयपुर द्वारा किया जाता है।
2. RSTB द्वारा तो केवल कक्षा 1 से 12 तक की पुस्तकों का मुद्रण (प्रकाशन) तथा वितरण का कार्य ही किया जाता है।

राजस्थान राज्य पाठ्यक्रम मण्डल का ढांचा/संगठन

- राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल की 'दो' परिषद हैं जिनका संगठनात्मक स्वरूप इस प्रकार है-

	शासी (नियंत्रण) परिषद	निष्पादन (कार्यकारी) परिषद
अध्यक्ष	शिक्षा मंत्री	शासन सचिव (स्कूल शिक्षा)
उपाध्यक्ष	शासन सचिव प्रा. शिक्षा	-
सचिव	RSTB का सचिव ही शासी परिषद् का सचिव होता है (RAS)	RSTB का सचिव ही निष्पादन परिषद् का सचिव होता है (RAS)
कुल सदस्य संख्या	12 [9 पदेन, 3 मनोनीत]	9
बैठकें	वर्ष में एक बार	प्रत्येक 3 माह में
कोरम	एक तिहाई (1/3)	एक तिहाई (1/3)
त्याग पत्र सदस्य द्वारा	अध्यक्ष को त्याग पत्र देगा	अध्यक्ष को त्याग पत्र देगा

नोट :

1. शासी परिषद् RSTB की **शीर्ष प्रशासनिक प्राधिकारी** है, जो RSTB को प्रशासनिक, वित्तीय, शैक्षिक एवं विकास सम्बन्धी नीतियों

12 राज्य में गुणात्मक शिक्षा के लिए पहल [SIQE : State Initiative for Quality Education]

राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा को बेहतर तथा गुणवत्ता पूर्ण बनाने के लिए राज्य में संचालित, समन्वित राजकीय उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालयों (कक्षा 1 **से** 10 एवं कक्षा 1 **से** 12 तक) में **कक्षा 1 से 5 तक में, विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर उन्नयन के उद्देश्य से सत्र 2015-16** से **''स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एज्यूकेशन''** (SIQE) परियोजना प्रारम्भ की गयी है तथा इसका संचालन राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् जयपुर द्वारा किया जा रहा है।'

- **SIQE पूर्ण नाम (अंग्रेजी) :** State Initiative for Quality Education
- **SIQE का पूर्ण नाम (हिन्दी) :** ''राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पहल''
- **ध्येय वाक्य :** ''सब बच्चे सीख सकते हैं और सब शिक्षक पढ़ा सकते हैं।''

SIQE की पृष्ठभूमि

- RTE Act 2009 के प्रावधान अनुसार राजस्थान में **'सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन** (CCE) की शुरुआत **मई 2010** (सत्र 2010-11) में पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में दो जिलों **जयपुर तथा अलवर** के 60 विद्यालयों से की गयी, जिसमें 40 विद्यालय अलवर जिले के तथा 20 विद्यालय जयपुर जिले के थे। सत्र **2015-16** से इसे राज्य के सम्पूर्ण समन्वित विद्यालयों में लागू किया गया।

बाल केन्द्रित शिक्षण (CCP) तथा सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन (CCE) की समन्वित प्रक्रिया के संचालन सम्बन्धी निर्देश तथा प्रावधान

- कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के आदेश क्रमांक : शिविरा/प्राशि/SIQE/दिशा-निर्देश/19568/2019/1656 दिनांक 17.09.2020 के अनुसार SIQE प्रक्रिया के प्रभावी क्रियान्वयन एवं सफल संचालन हेतु पूर्व में जारी दिशा निर्देशों के अतिक्रमण में निम्नानुसार दिशा निर्देश प्रसारित किये गये हैं—
- बच्चों के सर्वांगीण विकास करने वाले पाठ्यक्रम, बच्चों के अधिगम स्तर के अनुसार शिक्षण योजना तथा सतत् एवं व्यापक रूप से मूल्यांकन करने के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए **SIQE कार्यक्रम में तीन कार्यक्रम समन्वित रूप से संचालित किए गए—**
  1. बाल केन्द्रित शिक्षण विधा (CCP)
  2. गतिविधि आधारित शिक्षण (ABL)
  3. सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन (CCE)

नोट—राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बाद FLN को भी इसमें शामिल कर लिया गया है।

- इन तीनों समन्वित कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य राज्य में संचालित समस्त राजकीय विद्यालयों की प्राथमिक कक्षाओं (कक्षा 1 से 5) में अध्ययनरत विद्यार्थियों के **सीखने के प्रतिफल** (Learning out comes) के अनुरूप शैक्षिक स्तर का उन्नयन, विद्यार्थियों में रचनात्मक/सृजनात्मक क्षमता तथा शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के मध्य अन्तःक्रिया का विकास करना है। जहाँ शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया गतिविधि आधारित हो और संस्था प्रधान/शिक्षक इसमें मददकर्ता की भूमिका में हो। प्रत्येक बच्चे को सीखने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवाये जाएँ तथा उनका सतत् मूल्यांकन करते हुए निरन्तर सुधार हेतु प्रयास किए जाएँ।

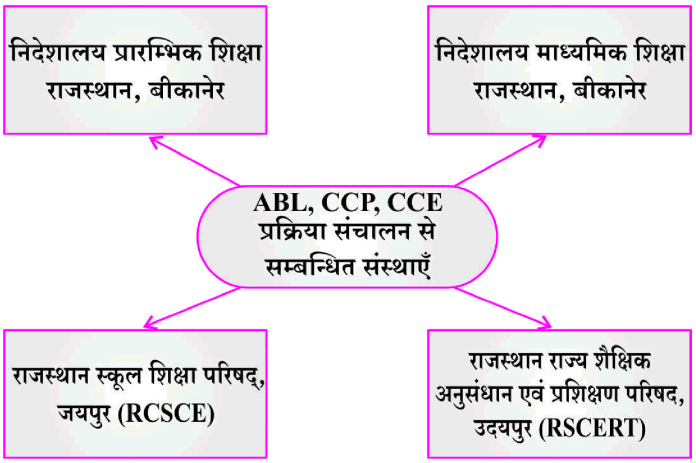

- प्रारम्भ में परियोजना की सहयोगी संस्थाएँ निम्न थी-
  1. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद
  2. निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर
  3. बोध शिक्षा समिति
  4. SIERT उदयपुर
  5. यूनिसेफ

(A) सतत एवं व्यापक मूल्यांकन
(B) गतिविधि आधारित अधिगम
(C) रचनात्मक अधिगम
(D) प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता अधिगम **[B]**

16. प्रत्येक ब्लॉक में कितनी ग्राम पंचायतों के लिए इसमें से एक आदर्श विद्यालय का कलस्टर विद्यालय के रूप में चयनित किया गया है—
(A) 4 से 6 (B) 5 से 9
(C) 6 से 9 (D) 3 से 8 **[A]**

17. विद्यार्थियों द्वारा किए गए कार्यों को साक्ष्य रूप में संधारित करने के लिए प्रत्येक विद्यार्थी की एक फाईल बनाई जाती है। इसे.....कहते है—
(A) पोर्टफोलियो (B) विद्यार्थी किट
(C) प्रथम आकलन (D) गुणात्मक आकलन **[A]**

18. निम्न में से कौनसा प्रोग्राम स्टीयरिंग कमेटी का कार्य नहीं है—
(A) परियोजना की समीक्षा एवं प्रगति के आधार पर MOU की अवधि एवं कार्यक्षेत्र बढ़ाने के लिए अधिकृत होगी।
(B) इसकी बैठक प्रत्येक तीन माह में एक बार अनिवार्य रूप से होगी।
(C) परियोजना क्रियान्वयन की योजना का अनुमोदन करने के लिए अधिकृत होगी।
(D) परियोजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक अनुकूल वातावरण तैयार करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं करेगी। **[D]**

19. निम्न में से राज्य कार्यकारी समूह का कार्य नहीं है—
(A) नीति निर्धारण तथा निर्णय में परियोजना परिचालन समिति को समर्थन देना।
(B) प्रत्येक दो माह में एक बार बैठक अनिवार्य होगी।
(C) परियोजना परिचालन समिति के समक्ष त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।
(D) परियोजना परिचालन समिति द्वारा लिए गए निर्णयों को क्रियान्वित नहीं करना **[D]**

20. निम्न में कौनसा राज्य शैक्षिक समूह का कार्य नहीं है?
(A) इसकी बैठक प्रत्येक दो माह में अनिवार्य होगी।
(B) शैक्षिक आगत-निर्गत की समीक्षा करनी होगी।
(C) परियोजना से संबंधित किसी की शोध कार्य को तकनीकी रूप से नेतृत्व प्रदान नहीं किया जाएगा।
(D) शिक्षक प्रशिक्षण मेन्यूअल एवं व्यूह रचनाओं को तैयार कर अन्तिम रूप देने के लिए उत्तरदायी। **[C]**

21. SIQE का पूरा नाम क्या है?
(A) State Intiative for Quantum Education
(B) State Intiative for Quality Education
(C) State Intiative to Quality Education
(D) Super Intiative for Quality Education **[B]**

13 डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग [DIKSHA : Digital Infrastructure for Knowledge Sharing]

DIKSHA

- DIKSHA, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) भारत सरकार द्वारा शिक्षकों के व्यावसायिक उन्नयन तथा विद्यार्थियों के लिए विषय वस्तु से संबंधित अतिरिक्त सामग्री उपलब्ध करवाने हेतु प्रारम्भ किया गया एक डिजिटल राष्ट्रीय प्लेटफार्म है।
- DIKSHA, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् **(NCERT)** तथा **''मानव संस्थान विकास मंत्रालय''**, भारत सरकार की स्कूली शिक्षा के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में एक **नवीन पहल** (Initiative) है।

One DIKSHA, Multiple Central and State Programmes

प्रारम्भ

- दीक्षा ओपन सोर्स टेक्नोलाजी पर आधारित **'राष्ट्रीय शिक्षक मंच'** है जिसकी रूपरेखा **मई 2017 में** मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा जारी की गयी।
- DIKSHA का प्रारम्भ **5 सितम्बर 2017** को उपराष्ट्रपति **वैंकेया नायडू** द्वारा किया गया।
- इसे राष्ट्रीय शिक्षक मंच के लिए रणनीति और दृष्टिकोण पत्र में उल्लेखित खुली वास्तुकला, खुली पहुँच, खुली लाइसेंसिंग विविधता, पसंद और स्वायत्तता के मूल सिद्धान्तों के आधार पर विकसित किया गया है।
- राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग का मानना है कि राज्य में छात्र के सीखने के परिणामों में सुधार के लिए, शिक्षक समुदाय इसकी सबसे बड़ी ताकत है और परिवर्तन का सबसे मजबूत लीवर है।
- शिक्षा विभाग ने **NCTE** के साथ मिलकर राइज (Rajasthan Interface for School Educators) का निर्माण किया है।

मुख्य उद्देश्य

- दीक्षा-राइज का मुख्य उद्देश्य एक उच्च गुणवत्ता वाला मंच प्रदान करना है जो शिक्षकों को **सशक्त** बनाता है, उन्हें राज्य भर में **सहयोग करने में सक्षम** बनाता है और उनके **व्यक्तिगत** और **व्यावसायिक** विकास को समृद्ध करता है।
- **आदर्श वाक्य**—दीक्षा का आदर्श वाक्य **'हमारे शिक्षक हमारे नायक'** हैं।
- यह सम्पूर्ण स्कूली शिक्षा अर्थात् पूर्व प्राथमिक से कक्षा 12 तक के लिए है।
- दीक्षा, भारत के सभी राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए उपलब्ध होगा।
- दीक्षा पोर्टल पर वर्तमान में 18 से अधिक भाषाओं में सामग्री उपलब्ध है। तथा इस पर CBSE, NCERT, SCERT तथा राष्ट्रीय खुले विद्यालय (NIOS) के विभिन्न पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं।
- दीक्षा को **'मोबाइल एप'** तथा **'वेब ब्राउजर पोर्टल'** (Web Browser Portal) के माध्यम से प्रयोग किया जा सकता है।

DIKSHA- RISE

राइजः राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एज्यूकेटर्स
RISE: Rajasthan Interface for School Educators

- दीक्षा पोर्टल का **राजस्थान संस्करण** 'दीक्षा-राइज पोर्टल' **(DIKSHA-RISE Portal)** है।

दीक्षा पोर्टल की विशेषताएँ

(1) दीक्षा पोर्टल पर शिक्षकों तथा विद्यार्थियों के लिए विषय-वस्तु से संबंधित ऑनलाइन शिक्षण व अधिगम सामग्री (Teaching and Learning Contents, TLC) उपलब्ध है।

(2) विषय-वस्तु से संबंधित पाठ्य सामग्री के निर्माण की सुविधा भी उपलब्ध है।

15 समग्र शिक्षा अभियान (समसा)
[SMSA : Samagra Shiksha Abhiyan]

परिचय

- केन्द्रीय बजट 2018-19 की घोषणा के अनुसार विद्यालयी शिक्षा में पूर्व प्राथमिक कक्षा से 12वीं तक की शिक्षा का बिना किसी वर्गीकरण (segmentation) के एकीकृत व समग्र रूप से विकास व उन्नयन करने हेतु तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावेड़कर ने 24 मई 2018 को समसा की घोषणा की तथा इसकी शुरूआत/क्रियान्वयन **1 जुलाई 2018** से किया गया।
- यह केन्द्र सरकार का एक **समन्वित फ्लैगशिप समयबद्ध कार्यक्रम है**, जिसे प्रारम्भ करने का निर्णय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा किया गया।
- समग्र शिक्षा अभियान (समसा) में पूर्व में संचालित निम्न **तीन कार्यक्रमों** को सम्मिलित किया गया (2018-19 से)
  1. **सर्व शिक्षा अभियान** (SSA)—नोडल एजेंसी राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद् जयपुर। (कक्षा 1-8 तक)
  2. **राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान** (RMSA)—नोडल एजेंसी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् जयपुर। (कक्षा 9-12 तक)
  3. **शिक्षक शिक्षा** (TE)—नोडल एजेंसी राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् उदयपुर।

संचालन कर्ता (शीर्ष संस्था)

- समसा का संचालन करने वाली शीर्ष संस्था ''मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD)'' भारत सरकार है।

नोडल एजेंसी

- समसा का क्रियान्वयन Single State Implementation Society (SIS) के माध्यम से किया जाएगा जिसमें–
  राज्य स्तर पर समसा के क्रियान्वयन हेतु इसकी नोडल एजेंसी **'राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद,** (RCScE) है, जिसका मुख्यालय शिक्षा संकुल **जयपुर** में है। जो समसा के **नियोजन, क्रियान्वयन** तथा **नियंत्रण/पर्यवेक्षण** के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। इसकी स्थापना 24 मई 2018 को की गई थी तथा इसका पंजीकरण 3 सितम्बर 2020 को किया गया।

अवधि

- प्रारम्भ में समसा की अवधि **दो वर्ष** थी **(1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2020 तक)**, लेकिन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने समसा की अवधि **5 वर्ष** बढ़ा दी है। **(1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक, जिसे समसा 2.0 के नाम से जाना जाता है)।**

समसा का नारा/ध्येय वाक्य

सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा।

कार्यक्षेत्र

- समसा के अंतर्गत **पूर्व प्राथमिक कक्षा से कक्षा 12वीं** तक की शिक्षा शामिल है। विद्यालय स्तर की शिक्षा के समस्त स्तरों को समग्र रूप से एक साथ ही इसमें शामिल किया गया है।

बजट

- समसा के लिए शुरू में दो वर्ष के लिए स्वीकृत बजट **75 हजार करोड़** रुपये था तथा अगले 5 वर्ष (2021–2026 तक) के लिए, **2,94,283.04 करोड़** रुपये का प्रावधान किया गया है। 2021 से 2026 की अवधि को **समसा 2.0** कहा जाता है।

वित्तीय प्रावधान

- समसा में केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार का विभिन्न हिस्सा **60 : 40** में है, जबकि पूर्वोत्तर के 8 राज्यों (सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैण्ड, मणिपुर, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा) तथा हिमालय पर्वतीय क्षेत्र के जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखण्ड तथा हिमाचल प्रदेश में केन्द्र तथा सम्बन्धित राज्य/संघ सरकार का वित्तीय हिस्सा **90 : 10** में है तथा जिन केन्द्र शासित प्रदेशों में विधानसभा नहीं है वहाँ **100%** वित्त केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

समग्र शिक्षा अभियान (समसा) के उद्देश्य

- **पूर्व प्राथमिक कक्षा** (नर्सरी) से लेकर **उच्च माध्यमिक** स्तर (कक्षा 12) तक सबके लिए बिना भेदभाव के **समग्र तथा गुणवत्ता शिक्षा** प्रदान करना तथा **विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों का उन्नयन** करना समसा का मुख्य उद्देश्य है।
- शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रमों में सुझाव देना।
- शिक्षा में गुणात्मक सुधार तथा उन्नयन।
- RTE Act 2009 के प्रावधानों को क्रियान्वित करने में सहायता करना।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 की सिफारिशों का क्रियान्वयन।
- विद्यालय शिक्षा के सभी स्तरों पर **सामाजिक** तथा **लैंगिक अन्तराल** को कम करना।

9. समसा का नारा क्या है—

(A) सब पढ़ें, सब बढ़ें

(B) पढ़े चलो, बढ़े चलो

(C) सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा

(D) उपरोक्त में से कोई नहीं **[C]**

10. सबसे निचले स्तर (पंचायत स्तर) पर समसा में CRCF के रूप में अधिकारी है—

(A) पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी

(B) प्रधानाचार्य

(C) मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी

(D) विद्यालय का संस्था प्रधान **[A]**

11. समग्र शिक्षा अभियान में किस स्तर तक की शिक्षा को शामिल किया गया है?

(A) कक्षा 1 से 12 तक

(B) कक्षा 6 से 12 तक

(C) कक्षा 1 से 8 तक

(D) पूर्व प्राथमिक कक्षा से उच्च माध्यमिक कक्षा तक **[D]**

12. समग्र शिक्षा अभियान का उद्देश्य निम्न में से कौन–सा नहीं है?

(A) शिक्षा मे गुणात्मक सुधार करना।

(B) शिक्षा में सामाजिक व लैंगिक अन्तराल कम करना।

(C) शिक्षा में समानता व समावेशिता लागू करना।

(D) शिक्षा मे निजीकरण को बढ़ावा देना। **[D]**

13. समग्र शिक्षा अभियान की शासी परिषद् के अध्यक्ष कौन होते हैं?

(A) मुख्यमंत्री (B) शिक्षा मंत्री

(C) मुख्य सचिव (D) निदेशक **[A]**

14. राज्य में संचालित स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालय कितने हैं?

(A) 134 (B) 319

(C) 200 (D) 186 **[A]**

15. शिक्षकों द्वारा स्वयं के कार्य का मूल्यांकन करने हेतु भरा जाने वाला प्रपत्र कौनसा है?

(A) शाला संबलन प्रपत्र (B) शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र

(C) अधिगम मूल्यांकन प्रपत्र (D) शिक्षक सिद्धि प्रपत्र **[B]**

16. U-DISE कोड में कितने अंकों का कोड होता है?

(A) 11 (B) 10

(C) 12 (D) 13 **[A]**

17. शाला सम्बलन अभियान हेतु कितनी तारीख को स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा ''शाला सम्बलन एप'' विकसित किया गया है?

(A) 15 जून 2021 (B) 15 अक्टूबर 2021

(C) 15 सितम्बर 2021 (D) 15 अगस्त 2021 **[C]**

18. राज्य स्तर पर समसा के क्रियान्वयन के लिए दो समितियाँ गठित की गई हैं, जो निम्न में से कौनसी है?

(A) कार्यकारी समिति, योजना परिषद

(B) कार्यकारी परिषद, परियोजना समिति

(C) शासी परिषद, राज्य परियोजना समिति

(D) कार्यकारी समिति, शासी परिषद **[D]**

19. समग्र शिक्षा अभियान का प्रारम्भ कब से हुआ?

(A) 2018-19 (B) 2017-18

(C) 2019-20 (D) 2014-15 **[A]**

20. समसा में कौनसी पूर्व संचालित योजनाओं को शामिल किया गया है?

(A) सर्व शिक्षा अभियान (SSA)

(B) माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA)

(C) शिक्षक शिक्षा (TE)

(D) उपर्युक्त सभी **[D]**

16 समग्र शिक्षा अभियान 2.0 [Samagra Shiksha Abhiyan 2.0]

समग्र शिक्षा अभिमान 2.0 (SMSA 2.0)

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के अनुरुप केन्द्र सरकार द्वारा समग्र शिक्षा अभियान 2.0 (समसा 2.0) **4 अगस्त 2021** को प्रारम्भ किया गया।
- समसा 2.0 की अवधि **1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026** तक है। इस योजना में कुल 2.94 लाख करोड़ रुपए का बजट है जिसमें से 1.85 लाख करोड़ रुपए की हिस्सेदारी केन्द्र सरकार की होगी तथा इस अभियान के माध्यम से लगभग 11.6 लाख स्कूल, 15.6 करोड़ बच्चे एवं 57 लाख शिक्षकों को लाभ प्राप्त होगा।

समग्र शिक्षा अभियान 2.0 का उद्देश्य

1. शिक्षा के स्तर में सुधार करना।
2. छात्रों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने हेतु प्री-प्राइमरी से कक्षा 12 तक के सभी आयामों को शामिल करना।
3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सफल क्रियान्वयन करना।
4. विद्यालय, बच्चों तथा शिक्षकों का विकस करना।
5. सीखने की प्रक्रिया पर निगरानी, स्मार्ट कक्षा, बाल वाटिका की स्थापना, शिक्षकों की क्षमताओं का विकास एवं प्रशिक्षण कार्य पर बल देना।
6. शिक्षा सम्बन्धी टिकाऊ विकास।

समग्र शिक्षा अभियान 2.0 के लाभ/विशेषताएँ तथा मुख्य प्रावधान

1. इस अभियान के माध्यम से एक मजबूत आधारभूत ढ़ाँचा, व्यवसायिक शिक्षा एवं रचनात्मक शिक्षण विधियों की व्यवस्था की जाएगी।
2. आँगनबाड़ी कार्यकत्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान करना तथा **"आरंभिक बाल्यवस्था देखभाल व शिक्षा"** (ECCE) शिक्षकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करना।
3. योजना की प्रत्यक्ष पहुँच को बढ़ाने के लिए सभी बाल केन्द्रीत हस्तक्षेप एक निश्चित समयावधि में प्रौद्योगिकी आधारित प्लेटफॉर्म पर प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण (DBT) के माध्यम से सीधे छात्रों को पहुँचाना।
4. प्री-प्राइमरी से कक्षा 12 वीं तक के विद्यालय में **बुनियादी ढ़ाँचे** को मजबूत करना।
5. सभी बच्चों को उनकी विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं तथा विभिन्न शैक्षणिक योग्यता को ध्यान में रखते हुए **एक समान एवं समावेशी** शिक्षा देना तथा सीखने की प्रक्रिया में भागीदारी बनाना।
6. व्यावसायिक शिक्षा का विस्तार करना।
7. **निपुण भारत अभियान** (NIPUN : National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding and Numeracy) का प्रारम्भ **5 जुलाई 2021** को किया गया। जिसमें मौलिक साक्षरता एवं संख्यात्मकता पर बल दिया गया। इस मिशन में प्रत्येक बालक को 500 रु. प्रतिवर्ष देने का प्रावधान है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य कक्षा 3 से कक्षा 5 के बीच प्रत्येक बालक को बुनियादी साक्षरता तथा संख्या ज्ञान की जानकारी देना है।
8. NCERT द्वारा निष्ठा (NISTHA) प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
9. 16 से 19 वर्ष के SC/ST व दिव्यांग बच्चें जो स्कूल नहीं जा पायें उन्हें राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान (NIOS) तथा राज्य मुक्त विद्यालय (State open school) के माध्यम से सैकण्डरी/सीनियर सैकण्डरी स्तर की शिक्षा पूरी करने हेतु प्रतिवर्ष 2000 रु. की आर्थिक सहायता देना।
10. विद्यार्थी के समग्र विकास हेतु 360° Assessment आधार पर रिपोर्ट कार्ड बनाना।
11. परिवहन सुविधा हेतु माध्यमिक स्तर के लिए 6000 रु. प्रतिवर्ष की सहायता देना।
12. समस्त कन्या छात्रावासों में सैनीटरी नेपकिन्स वेण्डिग मशीन एवं भस्मक (Incinerator) लगाना।
13. खेलों इण्डिया स्कूल गेम्स में किसी स्कूल के कम से कम दो खिलाड़ियों द्वारा **राष्ट्रीय स्तर** पर पदक जितनें पर स्कूल को 25000 रु. का अतिरिक्त खेल अनुदान देना।
14. समस्त कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों (KGBV) को 12वीं तक क्रमोन्नत करना।

18 राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 [National Education Policy-2020]

परिचय

- स्वतंत्रता के बाद भारत में तीन राष्ट्रीय शिक्षा नीतियाँ लागू की गयी हैं।
  1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1968 (इंदिरा गाँधी के समय)
  2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 (राजीव गाँधी के समय) इसमें नरसिम्हा राव सरकार ने 1992 में कुछ संशोधन किये थे।
  3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 (नरेन्द्र मोदी के समय)
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020, **21वीं शताब्दी की प्रथम शिक्षा नीति** है जिसका लक्ष्य हमारे देश के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करता है।
- भारत सरकार द्वारा 2015 में अपनाए गए सतत् विकास **एजेंडा 2030 के लक्ष्य 4 (एसडीजी 4)** में परिलक्षित वैश्विक शिक्षा विकास एजेंडा के अनुसार विश्व में 2030 तक **''सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन-पर्यन्त शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिये जाने''** का लक्ष्य है।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा पूर्व इसरो प्रमुख पद्मभूषण प्राप्त **डॉ. के. कस्तूरीरंगन** की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा तैयार किया गया।
- **29 जुलाई 2020** को केन्द्रीय केबिनेट ने इसे मंजूरी प्रदान की।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधार स्तम्भ

1. सब तक पहुँच (Access)
2. भागीदारी (Equity)
3. गुणवत्ता (Quality)
4. किफायती (Affordability)
5. जवाबदेही (Accountability)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 : भाग व अध्याय

भाग	अध्याय
1. स्कूल शिक्षा (अध्याय 1 से 8)	1. प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षाः सीखने की नींव
	2. बुनियादी साक्षरता एवं संख्या-ज्ञानः सीखने के लिए एक तात्कालिक आवश्यकता और पूर्वशर्त
	3. ड्रॉपआउट बच्चों की संख्या कम करना और सभी स्तरों पर शिक्षा की सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करना
	4. स्कूलों में पाठ्यक्रम और शिक्षण-शास्त्रः अधिगम समग्र, एकीकृत, आनंददायी और रुचिकर होना चाहिए
	5. शिक्षक
	6. समतामूलक और समावेशी शिक्षाः सभी के लिए अधिगम
	7. स्कूल कॉम्प्लेक्स/क्लस्टर के माध्यम से कुशल संसाधन और प्रभावी गवर्नेंस
	8. स्कूली शिक्षा के लिए मानक निर्धारण और प्रत्यायन
2. उच्चतर शिक्षा (अध्याय 9 से 19)	9. गुणवत्तापूर्ण विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयः भारतीय उच्चतर शिक्षा व्यवस्था हेतु एक नया और भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण
	10. संस्थागत पुनर्गठन और समेकन
	11. समग्र और बहु-विषयक शिक्षा की ओर
	12. सीखने के लिए अनुकूलतम वातावरण व छात्रों को सहयोग
	13. प्रेरित, सक्रिय और सक्षम संकाय
	14. उच्चतर शिक्षा में समता और समावेश

19 निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009
[Right of Children to free & Compulsory Education Act-2009]

- सर्वप्रथम **गोपाल कृष्ण गोखले** ने भारत में स्कूली शिक्षा को अनिवार्य करने की मांग को लेकर 18 मार्च 1910 को **'गोखले बिल'** प्रस्तुत किया।
- महात्मा गाँधी ने **'वर्धा योजना'** (1937) में निःशुल्क शिक्षा पर बल दिया। ये बुनियादी शिक्षा के पक्षदार थे।
- 'कोठारी आयोग' ने 1966 में सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से स्कूली शिक्षा प्रदान करने की सिफारिश की।
- 1993 में उच्चतम न्यायालय का उन्नीकृष्ण बनाम आन्ध्रप्रदेश निर्णय आया जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा देने की बात कही गयी।
- राज्य के **नीति निर्देशक तत्वों** में संविधान के **भाग-4** में **अनुच्छेद-45** के तहत यह प्रावधान किया गया कि राज्य **14 साल** तक के बच्चों को **निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा** उपलब्ध करवायेगा।

86वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत किये गये प्रावधान

86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा भारतीय संविधान में निम्न प्रावधान जोड़े गए जो RTE–2009 के आधार बने–

(1) मूल अधिकार—संविधान के भाग 3 में **अनुच्छेद 21(क)** जोड़ा गया जिसके अनुसार राज्य 6–14 वर्ष तक की उम्र के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएगा (यह बच्चों का मूल अधिकार है)।

(2) नीति निदेशक तत्व—संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 45 में प्रावधान किया गया कि राज्य 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की देखभाल करेगा एवं 6 वर्ष की उम्र होने तक शिक्षा उपलब्ध करवाने का प्रयास करेगा।

(3) मौलिक कर्त्तव्य—**संविधान के भाग-4 (क)** के अनुच्छेद **51 क** में नया वाक्यांश **'ट' (k)** जोड़ा गया। इस प्रकार **अनुच्छेद 51 क(ट)** के प्रावधानानुसार प्रत्येक माता-पिता या अभिभावक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इस प्रकार संविधान में यह **11वाँ** मूल कर्त्तव्य जोड़ा गया।

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009
(Right of Children to Free & Compulsory Education Act-2009

- सर्वप्रथम केन्द्र सरकार द्वारा यह विधेयक 20 जुलाई 2009 को **'राज्य सभा'** में पास किया गया।
- RTE Act-2009 लोकसभा में 20 जुलाई 2009 को पेश किया गया जिसे **'लोकसभा'** द्वारा 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया।
- इस पर राष्ट्रपति द्वारा **26 अगस्त 2009** को हस्ताक्षर किये गये (इस प्रकार RTE Act 2009 भारतीय गणराज्य के 60वें वर्ष में 35वाँ अधिनियम बना।)।
- राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद भारत सरकार द्वारा **27 अगस्त 2009 को गजट (राजपत्र)** में प्रकाशित किया गया।
- RTE Act 2009 को **1 अप्रैल 2010** से सम्पूर्ण भारत में लागू किया गया। (जम्मू कश्मीर को छोड़कर)।

Note :– वर्तमान में धारा 370 हटने के बाद RTE Act 2009 के प्रावधान जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में भी 5 अगस्त 2019 से लागू है।

- RTE Act लागू करने वाला भारत विश्व का 135वाँ देश बना।
- विश्व में **नार्वे** प्रथम देश था जिसने 2007 में RTE लागू किया था।
- भारत में RTE Act 2009 सर्वप्रथम हरियाणा राज्य में उसके बाद मध्यप्रदेश में लागू किया गया था।
- राजस्थान सरकार ने RTE Act 2009 की **धारा 38** में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए **29 मार्च 2011** को राजस्थान में **''राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011''** के नाम से इसके प्रावधान लागू किए।
- RTE Act, 2009 में मूल रूप से कुल 7 अध्याय एवं 38 धाराएँ थी लेकिन निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (संशोधित) 2012 द्वारा धारा 38 के बाद एक धारा और जोड़ दिए जाने से अब 7 अध्याय व 39 धाराएँ हैं।

(C) राज्य के मुख्य सचिव
(D) आरम्भिक शिक्षा के निर्देशक **[B]**

69. राजस्थान के संदर्भ में, विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) की कार्यकारिणी समिति का सदस्य सचिव होगा—
(A) प्रधानाध्यापक/संस्थाप्रधान
(B) सबसे वरिष्ठ शिक्षक
(C) जिला शिक्षा अधिकारी
(D) ब्लॉक शिक्षा अधिकारी **[A]**

70. राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार विद्यालय प्रबंधन समिति के संदर्भ में कौनसा कथन सही नहीं है?
(A) विद्यालय प्रबंधन समिति के सभी सदस्यों को मतदान का समान अधिकार है।
(B) किसी मुद्दे के समर्थन या विरोध में समान वोट होने पर बैठक के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा।
(C) यह विद्यालय के विभिन्न क्रियाकलापों को मॉनीटर करता है।
(D) विद्यालय प्रबंधन समिति को विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के नामांकन एवं सुविधाओं को मॉनीटर करने की आवश्यकता नहीं है। **[D]**

71. बालकों का नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (संशोधन 2017) के अनुसार, एक अध्यापक जो 31 मार्च, 2015 को नियुक्त या कार्यरत है, न्यूनतम योग्यता नहीं रखता है, तो ऐसी योग्यता.....के समय में अर्जित करेगा—
(A) पांच वर्ष (B) दो वर्ष
(C) चार वर्ष (D) तीन वर्ष **[C]**

72. बालकों का नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में, ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग, सामाजिक व शैक्षिक पिछड़ा वर्ग और ऐसे ही अन्य समूह से सम्बन्धित हैं, परिभाषित है—
(A) विशिष्ट पिछड़ा वर्ग में
(B) गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) में
(C) आर्थिक पिछड़ा वर्ग में
(D) असुविधाग्रस्त समूह में (वंचित समूह में) **[D]**

73. निम्न में से कौनसा कथन विद्यालय प्रबंधन समिति के बारे में सत्य नहीं है?
(A) विद्यालय के पड़ौस में लोगों को बालकों के अधिकार के विषय में सरल तरीके से बताना।
(B) नामांकन व उपस्थिति को सुनिश्चित करना।
(C) विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना का प्रबोधन।
(D) अध्यापक प्रशिक्षण की योजना तैयार करना **[D]**

74. शाला प्रबंधन समिति की मासिक बैठक होती है—
(A) द्वितीय शनिवार को (B) चौथे शनिवार को
(C) पूर्णिमा को (D) अमावस्या को **[D]**

75. शाला प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी समिति में महिलाओं की न्यूनतम सदस्य संख्या होगी—
(A) 8 (B) 5 (C) 4 (D) 11 **[A]**

76. शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अनुसार यदि कोई विद्यालय कैपिटेशन शुल्क लेता है, तब उसके लिए क्या दंड दिये जाने का प्रावधान है?
(A) लिये गये प्रतिव्यक्ति शुल्क के दस गुना तक अर्थ दंड
(B) लिये गये प्रतिव्यक्ति शुल्क के बीस गुना तक अर्थ दंड
(C) लिये गये प्रतिव्यक्ति शुल्क के तीस गुना तक अर्थ दंड
(D) लिये गये प्रतिव्यक्ति शुल्क के दस गुना तक अर्थ दंड एवं एक साल का कारावास **[A]**

77. निम्नांकित में से कौन-सा शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के संदर्भ में सही नहीं है?
(A) इसका भाग-17 बच्चों की दंड से रक्षा करता है।
(B) इसका भाग-14 प्रतिव्यक्ति शुल्क संग्रहण का निषेध करता है।
(C) इसके भाग-21 में विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रावधान है।
(D) इसका भाग-28 शिक्षकों के निजी ट्यूशन एवं निषिद्ध करता है। **[B]**

78. शिक्षा का अधिकार कानून (2009) के किस अध्याय में विद्यालय एवं शिक्षकों की जिम्मेवारियों का वर्णन है?
(A) अध्याय-I (B) अध्याय-IV
(C) अध्याय-II (D) अध्याय-III **[B]**

79. निम्नांकित में से कौनसा कथन शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के संबंध में सही नहीं है?
(A) इसका खंड 26 विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्तियों को भरने से संबंद्ध हैं।
(B) इसका अध्याय III पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंद्ध है।
(C) इसका अध्याय VI बच्चों के अधिकारों के संरक्षण से संबंद्ध है।
(D) इसका खंड 28 शिक्षकों के द्वारा 'निजी तंत्र' को प्रतिबंधित करता है। **[B]**

20 संक्षिप्त शब्दावली [Abbreviations]

ACBEO – **Additional Chief Block Education Officer** (अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी)

ADEO – **Additional District Education Officer** (अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी)

ADPC – **Additional District Project Coordinator** (अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक)

ABL – **Activity Based Learning** (गतिविधि आधारित अधिगम)

BALA – **Building as Learning Aid** (शिक्षण सहायक के रूप में भवन)

BRCF – **Block Resource Centre Facilitator** (ब्लॉक संदर्भ केन्द्र सहयोगी)

BSTC – **Basic School Teaching Certificate** (मौलिक विद्यालय शिक्षक सर्टिफिकेट)

BRC – **Block Resoure Centre** (ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र)

BEEO – **Block Elementary Education Officer** (ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी)

B.P.Ed – **Bachelor of Physical Education** (शारीरिक शिक्षा में स्नातक)

CBEO – **Chief Block Education Officer** (मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी)

CTE – **College of Teacher Education** (शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय)

CCP – **Child Centered Padagogy** (बाल केन्द्रित शिक्षाशास्त्र)

CCE – **Continuous and Comprehenshive Evaluation** (सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन)

CDEO – **Chief District Education Officer** (मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी)

C.P.Ed – **Certificate in Physical Education** (शारीरिक शिक्षा में प्रमाण-पत्र)

CWSN – **Children with Special Needs** (विशेष आवश्यकता वाले बच्चे)

CRC – **Cluster Resource Centre** (संकुल संदर्भ केन्द्र)

CRCF – **Cluster Resource Centre Facilitator** (संकुल संदर्भ केन्द्र सहयोगी)

CLICK – **Computer Literacy Initiative for Comprehensive Knowledge**

D.El.Ed. – **Diploma in Elementary Education** (प्रारम्भिक शिक्षा डिप्लोमा)

DD – **Deputy Director** (उप निदेशक)

DEO – **District Education Officer** (जिला शिक्षा अधिकारी)

DIET – **District Institute for Education and Training** (जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान)

DISE – **District Information System for Education** (शिक्षा के लिए जिला सूचना तंत्र)

DPC – **District Project Coordinator** (जिला परियोजना समन्वयक)

IASE – **Institute of Advanced Studies in Education** (उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान)

JD – **Joint Director** (संयुक्त निदेशक)

M.P.Ed – **Maters of Physical Education** (शारीरिक शिक्षा में अधिस्नातक)

MDM – **Mid Day Meal** (मध्याह्न भोजन योजना)

MHRD – **Ministry of Human Resource Development** (मानव संसाधन विकास मंत्रालय)

NCERT – **National Council Educational Research and Training** (राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)

NCF – **National Curriculum Framework** (राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना)

NCTE – **National Council of Teacher Education** (राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद)

NTSE – **National Talent Search Examination** (राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा)

NUEPA – **National University of Education Planning and Administration** (राष्ट्रीय शैक्षिक योजना व प्रशासन विश्वविद्यालय)

PRC – **Panchayat Resource Centre** (पंचायत संदर्भ केन्द्र)

PRCF – **Panchayat Resource Centre Facilitator** (पंचायत संदर्भ केन्द्र सहयोगी)

PEEO – **Panchayat Elementary Education Officer** (पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी)

RES – **Rajasthan Education Service** (राजस्थान शिक्षा सेवा)

RIE – **Regional Institute of Education** (क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान)

RSTB – **Rajasthan State Text Book Board** (राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल)

RSOS – **Rajasthan State Open School** (राजस्थान राज्य खुला विद्यालय)

RP – **Resource Person** (संदर्भ व्यक्ति)

RMSA – **Rastriya Madhyamik Shiksha Abhiyan** (राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान)

RSCERT – **Rajasthan State Council of Educational Research and Training** (राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान)

RTE – **Right to Free and Compulsory Education Act.** (निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम)

SDMC – **School Development and Management Committee** (विद्यालय प्रबन्धन एवं विकास समिति)

SEMIS – **Secondary Education Management Information System** (माध्यमिक शिक्षा प्रबन्धन सूचना तंत्र)

SIE – **The State Institute of Education** (राज्य शिक्षा संस्थान)

SMC – **School Management Committee** (विद्यालय प्रबन्धन समिति)

SMSA – **Samagra Shiksha Abhiyan** (समग्र शिक्षा अभियान)

SSA – **Sarva Shiksha Abhiyam** (सर्व शिक्षा अभियान)

SFG – **School Facility Grant** (विद्यालय सुविधा अनुदान)

SIQE – **State Intiative for Quality Education** (गुणात्मक शिक्षा हेतु राज्य की पहल)

SIERT – **State Institute of Educational Research and Training** (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान)

SIEMAT – **State Institute of Educational Management and Training** (राज्य शैक्षिक प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान)

SCERT – **State Councial of Educational Research and Training** (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)

TE – **Teacher Education** (शिक्षक शिक्षा)

U-DISE – **Unifield District Information System for Education** (एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली)

लेखक परिचय

डॉ. महावीर सिंह चौपड़ा

लेखक डॉ. महावीर सिंह चौपड़ा (RES) का जन्म सिंगोद खुर्द, तहसील चौमूं, जिला-जयपुर, राजस्थान में हुआ। आप प्रारम्भ से ही मेधावी विद्यार्थी रहे हैं, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से भूगोल विषय में प्रथम श्रेणी से M.A. करने के उपरान्त आपने भूगोल विषय में SET, NET–JRF, Ph.D. किया है। आप पिछले 13 वर्षों से प्रतियोगी परीक्षाओं में छात्रों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। वर्तमान में आप 'शिक्षा विभाग, राजस्थान' में प्राध्यापक पद पर कार्यरत हैं।

प्रस्तुत पुस्तक ''शैक्षिक प्रबन्धन एवं प्रशासन'' में नवीनतम पाठ्यक्रमानुसार शिक्षा विभाग द्वारा जारी विभिन्न आदेश/निर्देशानुसार तथ्यों का संकलन कर पाठ्य-सामग्री का समावेश किया गया है।

दक्ष की पुस्तकें Online Order करने के लिए www.dakshbooks.com पर जायें

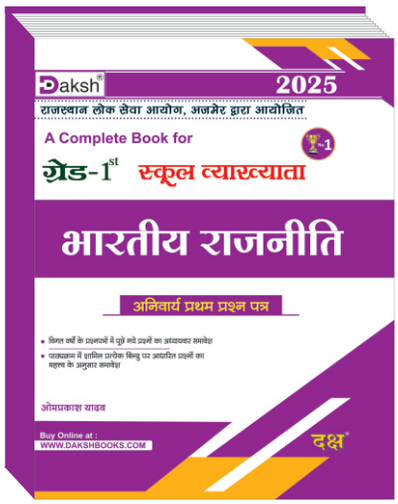

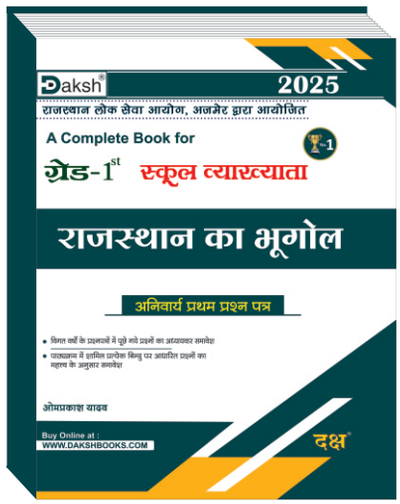

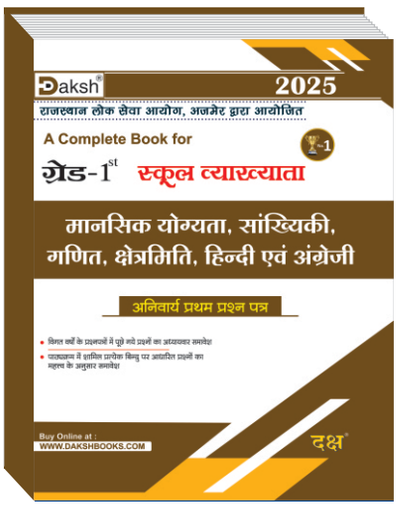

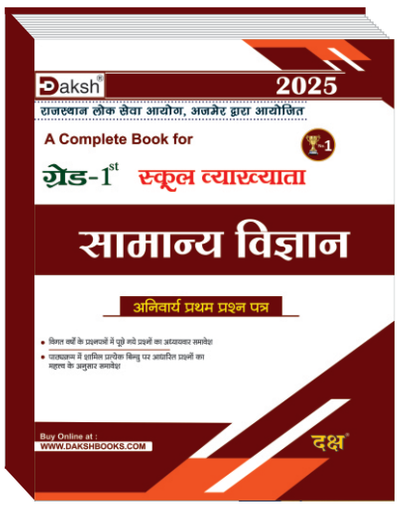

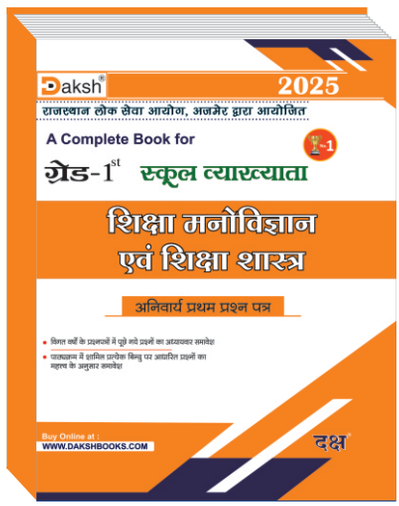

DAKSH PUBLICATIONS
(A Unit of College Book Centre)
A-19 सेठी कॉलोनी, जयपुर (राज.)
फोन नं. 0141-2604302
Code No. D-819 | ₹ 240/-

इस पुस्तक को ONLINE खरीदने हेतु
WWW.DAKSHBOOKS.COM
पर ORDER करें
★ SPECIAL DISCOUNT + FREE DELIVERY ★